www.dhyeyaias.com

जुलाई 2020 | अंक 04

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

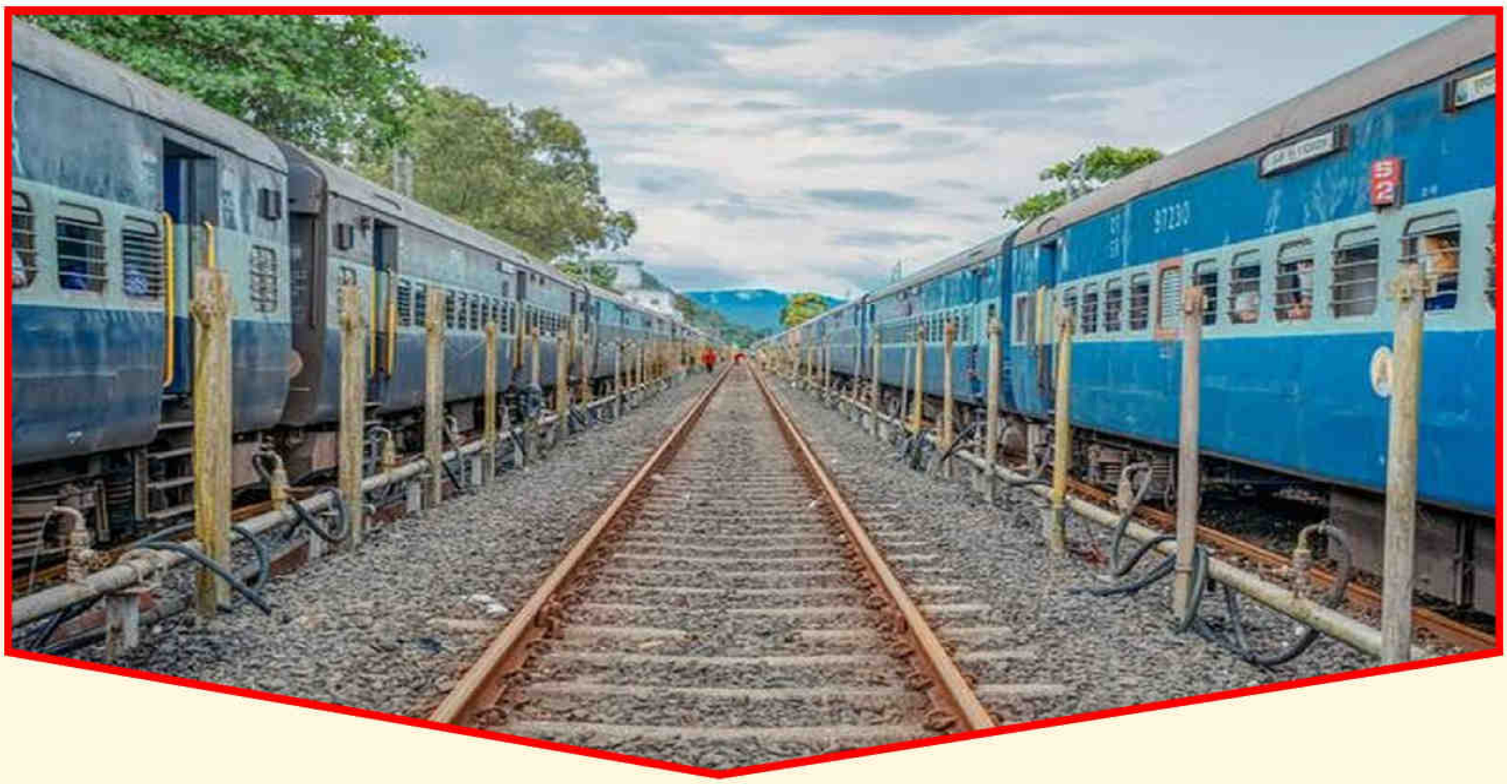

1 भारतीय रेलवे का निजीकरण

अवसर एवं चुनौतियां

2 राजनीति का अपराधीकरण एवं इसके परिणाम

3 राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटरनेट की स्वतंत्रता के बीच घूमती संतुलन की सूई

4 महामारी के बाद व्यावसायिक नैतिकता की आवश्यकता का मूल्यांकन

5 पड़ोसी देशों के साथ भारत का आर्थिक एकीकरण

6 राजकोषीय अनुशासन हेतु राजकोषीय परिषद की जरूरत

7 महामारी के दौरान समावेशी शहरों की आवश्यकता

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS
most trusted since 2003

PERFECT 7 Weekly Current Affairs

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल
जुलाई 2020 | अंक 04

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–15

- भारतीय रेलवे का निजीकरण : अवसर एवं चुनौतियां
- राजनीति का अपराधीकरण एवं इसके परिणाम
- राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटरनेट की स्वतंत्रता के बीच घूमती संतुलन की सूई
- महामारी के बाद व्यावसायिक नैतिकता की आवश्यकता का मूल्यांकन
- पड़ोसी देशों के साथ भारत का आर्थिक एकीकरण
- राजकोषीय अनुशासन हेतु राजकोषीय परिषद की जरूरत
- महामारी के दौरान समावेशी शहरों की आवश्यकता

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें 25–30

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 32

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 33

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 भारतीय रेलवे का निजीकरण : अवसर एवं चुनौतियां

चर्चा का कारण

- भारत सरकार ने भारतीय रेलवे के निजीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए 109 रुट्स पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे में निजी क्षेत्र के तीस हजार करोड़ रुपए निवेश होंगे। ये भारत के रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के संचालन में निजी क्षेत्र के निवेश का पहला प्रयास है।

परिचय

- भारतीय रेलवे, 2018 तक 68,443 किमी के मार्ग की लंबाई के साथ आकार में दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन करता है। भारत में रेल किसी व्यावसायिक संगठन की तरह नहीं, एक सार्वजनिक सेवा की तरह चलती है। सब्सिडी के जरिये सस्ती यात्रा की व्यवस्था हमेशा से भारतीय रेलवे की पहचान रही है।
- भारतीय रेलवे 1853 में अपनी स्थापना के समय से सरकार के हाथों में रही है। वर्तमान में देश में 13 हजार ट्रेनें चल रहीं हैं और डिमांड और सप्लाई के बीच समानता लाने के लिए 7 हजार ट्रेनें और चलायीं जायेंगीं।

निजीकरण की आवश्यकता क्यों

- रेलवे के मुताबिक इसका मकसद भारतीय रेल में नई तकनीक का विकास करना है ताकि लागत को कम किया जा सके। इसके अलावा इससे नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे।
- इस पहल का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी रोलिंग स्टॉक का कम रखरखाव, कम पारगमन समय, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ाना, यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करना और यात्री परिवहन क्षेत्र में मांग की आपूर्ति की कमी को कम करना है। परियोजना के लिए रियायत अवधि 35 वर्ष होगी।
- निजी इकाई भारतीय रेलवे को निर्धारित ढुलाई शुल्क, वास्तविक खपत के अनुसार ऊर्जा शुल्क और पारदर्शी राजस्व प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित सकल राजस्व में हिस्सेदारी का भुगतान करेगी। इन ट्रेनों को भारतीय रेलवे के चालक और गार्ड द्वारा संचालित किया जाएगा। निजी संस्था द्वारा गाड़ियों का संचालन प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों जैसे समय की पाबंदी, विश्वसनीयता, गाड़ियों के रखरखाव आदि के अनुरूप होगा।
- गौरतलब है कि निर्धारित रूटों पर गाड़ियां शुरू करने वाली निजी कंपनी को रेलवे को तय हॉलेज चार्ज, ऊर्जा चार्ज और कुल आय में हिस्सा देना होगा। ये दरें टेंडर के जरिए तय की जाएंगी। भारतीय रेलवे ने देश के रेल नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा हैं। इन क्लस्टर में 109 रूटों पर इतनी ही जोड़ी निजी रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है। रेलवे इन सेवाओं के लिए अपनी ओर से सिर्फ गार्ड और ड्राइवर देगा। बाकी सभी इंतजाम निजी कंपनियों को करना होगा।
- रेलवे के निजीकरण से सरकार के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी जिससे सार्वजनिक वित्त में सुधार होगा। इसके अलावा अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करके रेलवे की गुणवत्ता में सुधार होगा।

- भारतीय रेलवे उन चुनिंदा सरकारी स्वामित्त्व वाले उपक्रमों की सूची में आती है जिसे साल-दर-साल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ तालमेल रख पाने में असफल रहा है। इसलिए कुछ जानकार सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं।
- रेलवे अपनी सेवाओं जैसे- टिकटिंग, खानपान, कोच रखरखाव और टिकट चेकिंग आदि के विषय में ग्राहकों को संतुष्ट करने में अपेक्षाकृत सफल नहीं रहा है साथ ही तकनीकी स्तर पर भी रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया है और यही कारण है कि समय-समय पर रेल दुर्घटना की खबरें सामने आती रही हैं।

आईआरसीटीसी द्वारा कुछ ट्रेन पहले ही चलायी जा रही हैं

- भारतीय रेलवे की केटरिंग कंपनी आईआरसीटीसी इसी मॉडल पर तीन रूटों पर एक्सप्रेस ट्रेन चला रही है। दिल्ली-लखनऊ के बीच तेजस एक्सप्रेस, मुंबई-अहमदाबाद के बीच तेजस एक्सप्रेस और दिल्ली-वाराणसी के बीच महाकाल एक्सप्रेस का संचालन आईआरसीटीसी के हाथ में है।
- तेजस एक्सप्रेस जब शुरू हुई थी तब इसे रेलवे का निजीकरण करने का प्रयोग कहा गया था। अब अन्य रूटों पर निजी कंपनियों को ट्रेन चलाने के लिए आमंत्रित करना रेलवे की निजीकरण की दिशा में एक और कदम है।

रेलवे में सुधार के प्रयास

- भारतीय रेलवे में सुधार हेतु वर्ष 2014 में बिबेक देबरॉय समिति का गठन किया गया था। रेलवे में सुधारों के लिए अर्थशास्त्री डा. बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति ने 12 जून 2015 को अपनी रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय को सौंप दी। पेश रिपोर्ट में रेलवे की हालत सुधारने के लिए निजी क्षेत्र के योगदान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- रिपोर्ट में निजी क्षेत्र को यात्री ट्रेन और मालगाड़ी चलाने की अनुमति देने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि रेलवे को अपना काम नीतियां बनाने तक सीमित रखना चाहिए।
- कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रेलवे बोर्ड की भूमिका सीमित करने, मानव संसाधन के कार्य को अच्छा करने तथा रेलवे के कामकाज के लिए व्यावसायिक लेखा प्रणाली शामिल करने संबंधी कुछ सिफारिशें की हैं।
- समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि रेलवे को स्कूल और अस्पताल चलाने जैसे कल्याणकारी कामों और आरपीएफ के प्रबंधन से अलग हो जाना चाहिए। यह नीति निर्माण, नियमन और संचालन की भूमिका विभाजित करने के लिए आवश्यक है। भारत सरकार और रेलवे संगठनों के बीच जिम्मेदारी का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए।

चुनौतियाँ

- ट्रेन के किराए का 43 फीसदी सब्सिडी यात्रियों को मिलती है। जानकारों का मानना है कि निजी कंपनियां संभवतः ये रियायत यात्रियों को नहीं दें। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों की जेब पर भार बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का किराया इसी रूट पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस से ज्यादा है।
- एक मुद्दा ये भी होगा कि निजी ट्रेन ऑपरेटर और रेलवे के बीच विवाद होगा तो उसे कौन सुलझाएगा, अभी विवाद सुलझाने का कोई मेकॅनिज्म नहीं है और ना ही रेलवे के पास कोई नियामक (रेग्यूलेटर) है। यदि रेलवे को निजीकरण करना ही है तो पहले रेग्यूलेटर नियुक्त करना होगा। जब तक विवाद निपटारे की व्यवस्था नहीं होगी तब तक निजीकरण का कोई प्रस्ताव कामयाब नहीं होगा।
- निजी रेलगाड़ियों को दूसरी यात्री गाड़ियों से भी प्रतिद्वंदिता मिलेगी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि निजी रेलगाड़ियां यात्रियों को ऐसी क्या सुविधा दे देंगी जो मौजूदा गाड़ियों में नहीं मिल पा रही है।
- निजी ट्रेन जब आएंगी तो उन्हें उसी रूट पर दूसरी गाड़ियों से प्रतिद्वंदिता मिलेगी और अगर उनका किराया बहुत ज्यादा होगा तो हवाई सेवाओं से भी उन्हें प्रतिद्वंदिता मिलेगी। ऐसे में यही सवाल रह जाता है कि निजी ट्रेन ऐसी क्या नई तरह की सेवा देगी जिसके प्रति यात्री आकर्षित होंगे।
- रेलवे के निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां खत्म होंगी क्योंकि निजी कंपनियाँ कम लोगों से ज्यादा काम करवाकर लाभ अधिकतम करना पसंद करेंगी।

आगे की राह

- कई देशों ने अपने यहां रेलवे के कामकाज का पूरा या आंशिक निजीकरण किया है। ऐसे देशों में ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि शामिल हैं। वहाँ से अनुभव लेकर भारत इस दिशा में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ सकता है। परिवहन के दूसरे साधनों के मुकाबले रेलवे के कामकाज का निजीकरण ज्यादा जटिल मामला है, इसके अलावा भारत में कुछ साल पहले निजी कंटेनर फ्रेट सर्विस शुरू की गई थी लेकिन वह बहुत सफल नहीं हो पाई। ऐसे में सरकार को अनसुलझे मसलों और जटिलताओं के मद्देनजर एक संतुलित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- बुनियादी ढांचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

प्र. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि रेलवे का निजीकरण रेलवे के सम्पूर्ण विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है? विश्लेषण करें।

02 राजनीति का अपराधीकरण एवं इसके परिणाम

चर्चा का कारण

- राजनीति का अपराधीकरण का अर्थ राजनीति में अपराधियों को प्रवेश करने, चुनाव मैदान में उतरने और चुनाव लड़ने और यहां तक कि संसद और राज्य विधान सभाओं में निर्वाचित होने से है। अपराधियों को अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए राजनेताओं के संरक्षण की आवश्यकता होती है साथ ही राजनेताओं को अपने चुनावों में अपराधियों के धन और बाहुबल की आवश्यकता होती है।
- समय के साथ, इस सांठगांठ ने अपराधियों को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले (फरवरी 2020) द्वारा राजनीतिक दलों को विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया। इसे पहली बार अक्टूबर 2020 में आगामी बिहार चुनावों में लागू किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश

- राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 के द्वारा राजनीतिक दलों के लिए कुछ अनिवार्य दिशा-निर्देशों को जारी किया था:
  - उल्लिखित दिशानिर्देशों के तहत, राजनीतिक दलों को, जो लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों, जिन्हें उम्मीदवारों के रूप में चुना गया है, के बारे में (अपराधों की प्रकृति, और प्रासंगिक विवरण जैसे कि क्या है, के बारे में विस्तृत जानकारी अपलोड करें फंसाया गया है, संबंधित कोर्ट, केस नंबर आदि) अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
  - राजनीतिक दल को ऐसे उम्मीदवार के चयन के कारणों के बारे में भी बताना होगा कि क्यों आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के बजाए अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में नहीं चुना जा सकता है। चयन का आधार संबंधित उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होने चाहिए।

- यह जानकारी एक स्थानीय और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र और साथ ही पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल में प्रकाशित होनी चाहिए।
- ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले प्रकाशित किए जाएंगे, जो भी पहले हो।
- उसके बाद संबंधित राजनीतिक दल उक्त उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग के साथ इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग के साथ इस तरह की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस के अनुसार इस गैर-अनुपालन को राजनीतिक दल द्वारा न्यायालय के आदेशों / निर्देशों की अवमानना के रूप में लेगा।

आंकड़ों पर एक नजर

- 2004 में, संसद के 24% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे।
- 2009 में, यह संख्या 30% हो गई।
- 2014 में यह बढ़कर 34% हो गयी और 2019 में 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे।
- 2019 में चुनाव लड़ने वाले 13% उम्मीदवारों पर जघन्य अपराधों के आरोप हैं जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा किये गये पूर्ववत प्रयास

- सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण की समस्या को खत्म करने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं:
- 2002 में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संघ (UOI) बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामले में फैसला सुनाया कि हर उम्मीदवार, संसद, राज्य विधानसभाओं या नगर निगम के लिए चुनाव लड़ते हुए अपने आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड और शैक्षिक योग्यता की घोषणा करेगा।
- जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है। लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है, वे चुनाव लड़ने के लिये स्वतंत्र हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है।

- इस अधिनियम की धारा 8(1) और (2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य (सांसद अथवा विधायक) हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन; धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधि के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- वहीं, इस अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि उपर्युक्त अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिये दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका सदस्य को यदि दो वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से आयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी किये जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य माना जाएगा।
- हालाँकि, धारा 8(4) में यह भी प्रावधान है कि यदि दोषी सदस्य निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ तीन महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर देता है तो वह अपनी सीट पर बना रह सकता है। किंतु, 2013 में 'लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक ठहरा कर निरस्त कर दिया।
- वोटिंग मशीनों में 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (NOTA) विकल्प का समावेश राजनीतिक दलों को बेहतर उम्मीदवारों को मैदान में लाने के लिए तथा मतदाताओं को सशक्त बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम था। यह पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 2013 के फैसले के माध्यम से किया गया था।
- राजनेताओं से जुड़े मामलों में लंबी देरी को देखते हुए, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके परीक्षणों को पूरा करने का निर्देश दिया, जिसमें एक साल के भीतर निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल थे।

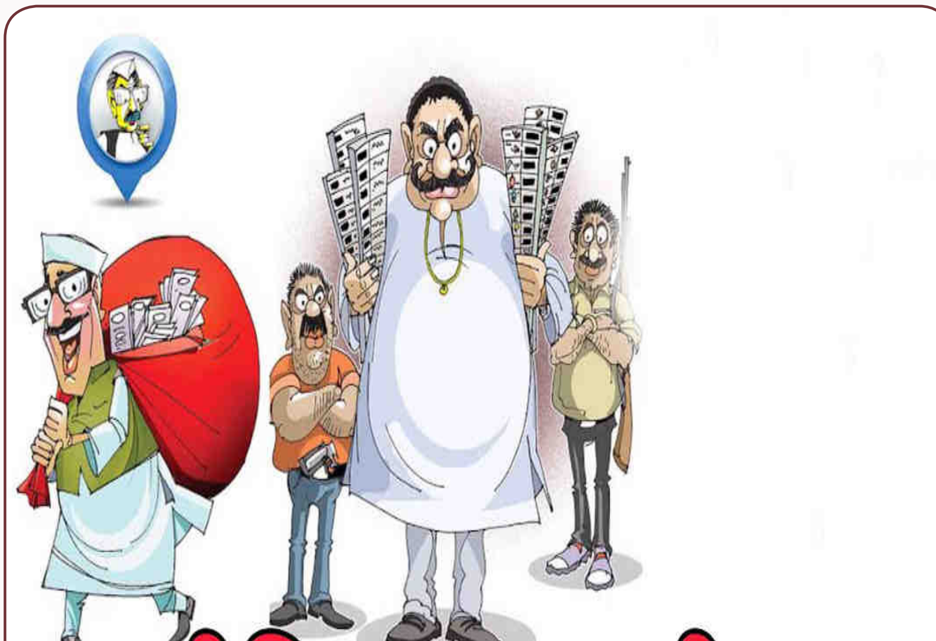

राजनीति का अपराधीकरण

- 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह विशेष रूप से राजनेताओं के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की नियुक्ति के लिए एक योजना तैयार करे, जो शीघ्र न्याय सुनिश्चित करे।
- 2018 में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को ऑनलाइन प्रकाशित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चुनावी उम्मीदवारों के बारे में अधिक से अधिक प्रकटीकरण मानदंडों को लागू करने की मांग की।
- पांच न्यायाधीशों वाली बेंच ने माना था कि राजनीति के तेज अपराधीकरण को केवल दागी विधायकों को अयोग्य ठहराकर कम नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसमें राजनीतिक दलों को भी शामिल होना चाहिए।

चुनाव आयोग द्वारा किये गये उपाय

- इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने भी राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय किए हैं:
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने हमेशा एक ऐसे कानून की आवश्यकता के लिए दशकों से आवाज उठाई है, जिसमें उन उम्मीदवारों को शामिल किया गया है जिनके खिलाफ पांच साल और उससे अधिक के दंडनीय जघन्य अपराध के लिए अदालत द्वारा कानून बनाया गया था।
- चुनावों से पहले स्व-शपथ पत्रों में संपत्ति और मौजूदा आपराधिक आरोपों की अनिवार्य घोषणा से इसमें कुछ पारदर्शिता आई है।

भारत के लिए समस्या

- राजनीति का अपराधीकरण भारत के लिए एक चिंताजनक विषय है क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र में एक संरचनात्मक समस्या है जैसे कि
- मतदाता, राजनीतिक दल और राज्य की कानून व्यवस्था सभी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।
- शोधकर्ताओं ने पाया है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार अपनी सार्वजनिक छवि के कारण बड़े पैमाने पर अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अपने स्वयं के चुनावों को वित्तपोषित करते हैं और अपने संबंधित दलों के लिए पर्याप्त संसाधन लाते हैं, जो कि एक संरक्षण प्रणाली को जन्म देता है।
- एडीआर विश्लेषण से पता चलता है कि आपराधिक आरोपों से लिप्त उम्मीदवारों

के पास स्वच्छ रिकॉर्ड वाले लोगों की तुलना में जीतने की संभावना दोगुनी है। राजनीतिक दलों के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनने में उम्मीदवारों की जीत एक महत्वपूर्ण कारक होती है।

- इसके अलावा अपेक्षाकृत कमजोर राज्य संस्थानों और शासन में सार्वजनिक रवैये और सार्वजनिक सामानों की डिलीवरी में असमानता को देखते हुए, कुछ अज्ञानी मतदाता आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं, क्योंकि मतदाता ऐसे उम्मीदवारों को अपने हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने और काम पाने में सक्षम होने के रूप में देखते हैं।
- मतदाता व्यवहार, अकसर अपनी तत्काल आवश्यकताओं के अनुरूप होता है।
- लोकतांत्रिक प्रणाली में ये अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति भारत के राज्य संस्थानों की प्रकृति और इसके चुने हुए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती है।

आगे की राह

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन:

- ऐसे नियम की आवश्यकता है जो चुनावों में लड़ रहे गंभीर अपराधों से लिप्त उम्मीदवारों को खारिज कर दे। संसद को जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में ऐसे संशोधन पर विचार करने की आवश्यकता है।

सामान्य नागरिक की भूमिका:

- हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने आपराधिक उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल बना दिया है, परन्तु अभी भी नागरिकों में जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी की आवश्यकता है, जिससे राजनीति के विकेंद्रीकरण के लिए सही परिस्थितियां बन सकें।

राजनीतिक दल की भूमिका:

- यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि राजनीति के अपराधीकरण को केवल न्यायिक उपचार द्वारा ही कम नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक वर्ग को भी इस चुनौती का जवाब देना होगा कि पार्टियों के लिए एक अधिक प्रभावी विकल्प होते हुए भी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देना कितना आवश्यक है।

न्यायपालिका की भूमिका:

- गौरतलब है कि अदालतों द्वारा एक आपराधिक मामले को अंततः निपटाने के लिए औसतन 15 साल लगते हैं।
- इसके अलावा विशेष रूप से भारतीय सांसदों और विधायकों के खिलाफ 6 प्रतिशत से अधिक आपराधिक मामले हैं, जो कि केंद्र द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार नहीं हैं। इसे जब भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों की दोषी दर के साथ तुलना की जाती है तो यह राष्ट्रीय स्तर पर 46% से भी अधिक है, इससे चुने गए प्रतिनिधियों की स्थिति का दुरुपयोग होने की संभावना बन जाती है।
- इस संदर्भ में फास्ट-ट्रैक अदालतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर दागी विधायकों के मामलों का फैसला करना चाहिए।

व्यापक सुधार:

- चुनावी फंडिंग में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने से राजनीतिक दलों के लिए यह कम आकर्षक हो जाएगा कि वे आपराधिक विरोधी उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करें।
- अतः आपराधिक राजनेताओं पर मतदाताओं की कम निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शासन सुधारों को लक्षित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं में उपयुक्त संशोधनों के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू करने का प्रस्ताव रखा है।
- हालाँकि देखा जाये तो 2002 के बाद से चुनाव सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले वास्तव में नागरिक पहलों के ही जवाब हैं। अब यह देखा जाना बाकी है कि हालिया निर्णय राजनीतिक दल के विकल्पों को कैसे प्रभावित करेगा और भविष्य की विधायिकाओं से आपराधिकता को समाप्त करने या महत्वपूर्ण रूप से सुधार करने पर वांछित प्रभाव पड़ेगा या नहीं।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. भारत में राजनीति के अपराधीकरण के बढ़ते प्रवृत्ति पर चर्चा करें।

03 राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटरनेट की स्वतंत्रता के बीच घूमती संतुलन की सूई

चर्चा का कारण

- हाल ही में 59 चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने के फैसले ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट की स्वतंत्रता की भेद्यता को सुर्खियों में ला दिया है। भारत द्वारा चीनी ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंध को चीन के गलवान घाटी में उठाये गये भारत विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध भारत के डिजिटल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप्स को अवरुद्ध करने के आदेश को एक प्रेस सूचना ब्यूरो के अधिसूचना के माध्यम से संप्रेषित किया गया, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए के तहत लागू किया जाएगा।
- यह आदेश ब्लॉकिंग रूल्स की आपातकालीन शक्तियों के तहत लिया गया है, जो सरकार को 48 घंटे की अवधि के भीतर किसी भी नोटिस या सुनवाई की आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देता है। इस 48 घंटे की अवधि के दौरान सरकार को निर्णय लेने के लिए एक समिति बुलानी होती है।
- 48 घंटे की अवधि समाप्त होने के बाद, आईटी सचिव को अंतरिम किये गए उपाय और अनब्लॉक एक्सेस को रद्द करते हुए अंतिम आदेश पारित करना होता है, या अवरुद्ध आदेश को अंतिम रूप देना होता है।
- चीनी ऐप्स को पीआईबी द्वारा जारी एक अधिसूचना में 'दुर्भावनापूर्ण (Malicious) के रूप में बताया गया है। अधिसूचना में यह कारण दिया गया है कि ये ऐप्स उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता और भारत की संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि उन्हें विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुछ मोबाइल ऐप्स के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं, जो चोरी करने और उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनाधिकृत तरीके से भारत से बाहर सर्वर पर प्रसारित करने के लिए उपयोग की जा रही है।
- हालाँकि अभी भी ये ऐप्स मौजूदा उपयोगकर्ताओं के फोन पर उपलब्ध हैं, लेकिन नए उपयोगकर्ता इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं।

अधिकारों का संतुलन

- यद्यपि जब हम अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो निश्चित रूप से चीनी कंपनियों के अधिकार प्रभावित हुए हैं, परन्तु यदि यह भारतीय नागरिकों के संदर्भ में हो, जो अपने व्यवसाय को चलाने के लिए या सिर्फ लोकप्रिय होने के लिए टिकटॉक जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करते थे,तो हम कह सकते है कि किसी के भी अधिकार उल्लंघन नहीं हुआ है। कुछ विशेषज्ञों की राय में केवल एक मंच पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, गतिविधि पर नहीं। इस तरह की गतिविधियों को अन्य प्लेटफार्मों पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए, सरकार को मिला कोई नया अधिकार नहीं है जिसका उपयोग सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल के समय में आदेश देने में किया जा रहा है।
- हालाँकि इसमें नए रूप में एक वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम का कारण ज्ञात होना चाहिए और सरकार द्वारा ऐप को ब्लॉक करने की आवश्यकता को बहुत व्यापक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र (जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार के साथ-साथ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के लिए भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है), में सरकारों द्वारा इंटरनेट या इंटरनेट-आधारित सेवाओं का विनियमन करते समय बुनियादी मानवाधिकार मानकों का भी यथोचित सम्मान करना आवश्यक है।
- सरकार को किसी भी सेवा को अवरुद्ध करने या सामग्री तक किसी की पहुंच को रोकने या अन्य कठोर कदम उठाने के लिए, सर्वप्रथम लोगों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी सेवा या सामग्री को ब्लाक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में तीन प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं-
  - हस्तक्षेप की क्षमता
  - आनुपातिकता परीक्षण
  - आवश्यकता का मानक

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि हमारी स्वतंत्र अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार, ऑनलाइन सामग्री पर भी लागू होता है।

इंटरनेट पर प्रतिबंध संबंधी पूर्व में किये गये प्रयास

- केरल राज्य में फहीमा शिरिन बनाम केरल राज्य ने मान्यता दी कि, किसी की इंटरनेट तक पहुंच के साथ दखल देना निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
- जस्टिस पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के साथ-साथ मॉडर्न डेंटल कॉलेज से संबंधित निर्णय के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की, कि अधिकारों को अलग रूप में नहीं देखा जा सकता है। उन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं।
- हालाँकि इस तरह के प्रतिबंध लगाने का आधार अनुच्छेद 19 (2) (यानी सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, आदि) के तहत उल्लिखित स्थितियों में से एक है। एक ही समय में, संवैधानिक स्वतंत्रता की परस्पर प्रकृति के कारण, यह भी अनुच्छेद 14 के तहत उचित और न्यायसंगत हो जायेगा, इसका मतलब यह है कि जिस तरह से चीन के ऐप्स पर बैन लगाया गया है, वह मनमाना नहीं है।
- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ और ओआरएस में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि धारा 69 ए को सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को सार्वजनिक रूप से सूचना तक पहुँच को अवरुद्ध करने के लिए) नियम, 2009 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, हालाँकि इस संदर्भ में भारत सरकार ने संकीर्ण रूप से सिलसिलेवार प्रतिबंध लगाए। बाद में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ और ओआरएस में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 69 ए की संवैधानिकता को स्वीकार किया था।
- हालाँकि, आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत एक आदेश के संदर्भ में आपातकाल का अर्थ स्पष्ट नहीं है।
- पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ में, टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 की संवैधानिकता को चुनौती के संदर्भ में, SC ने स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) में, सार्वजनिक आपातकाल की सीमाएं बताए गए आधारों से भी अधिक है।
- न्यायालय ने सार्वजनिक आपात को परिभाषित किया जिसके अनुसार "सार्वजनिक आपात तत्काल कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने वाली आकस्मिक उत्पन्न स्थिति" है।

निष्कर्ष

- मौजूदा समय में सुरक्षा चुनौतियों की पर्याप्तता यह समझने में मदद कर सकती है कि चीन के ऐप्स पर लगाये गये बैन से नागरिक स्वतंत्रता पर अत्यधिक अंकुश लगाया गया है अथवा नहीं।
- इंटरनेट पर पहुंच को प्रतिबंधित करने के खिलाफ सामान्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा (general procedural safeguard) संबंधित आदेशों को अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति (certified copy) द्वारा समर्थित होना चाहिए क्योंकि न्यायिक जांच द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि यह निर्णय ठीक है या नहीं।
- ब्लॉकिंग रूल्स 2009 के नियम 9 के तहत सरकार को एक ऑनलाइन मध्यस्थ (यानी एक ऑनलाइन सेवा प्रदान करने वाली इकाई, जैसे कि एक चीनी ऐप) को सुनने का एक पूर्व अवसर प्रदान किए बिना उस पर बैन (जैसे इस मामले में) लगाने का अधिकार है।

आगे की राह

- अनुराधा भसीन फैसले में इंटरनेट शटडाउन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि लोगों की स्वतंत्रता के अधिकारों के संदर्भ में विशेष रूप से इंटरनेट के संबंध में प्रतिबंधित करने वाले किसी भी आदेश को प्रकाशित करने की आवश्यकता है।
- वास्तविक रूप से देखा जाये तो मौजूदा प्रतिबंध से भारत डब्ल्यूटीओ के लिए असुरक्षित हो गया है। इसके अलावा भारत में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता कानूनों की कमी और महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा संरचना की कमी के लिए भी सवाल उठाए गए हैं।
- सरकार को इंटरनेट संबंधी कोई भी प्रतिबंध लगाने से पहले मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

प्र. हाल ही में भारत सरकार द्वारा चीन के विभिन्न ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंधों से इंटरनेट की स्वतंत्रता कहां तक प्रभावित हुई है? विश्लेषण करें।

04 महामारी के बाद व्यावसायिक नैतिकता की आवश्यकता का मूल्यांकन

चर्चा का कारण

- कोविड-19 महामारी और विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं में अभूतपूर्व संकुचन की स्थिति को देखते हुए व्यापारिक नैतिकता या व्यावसायिक नीतिशास्त्र (Business Ethics) को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गयी है।

परिचय

- नैतिकता या नीतिशास्त्र नैतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है जो मनुष्य को अच्छे और बुरे, सही और गलत, उचित और अनुचित आदि के बीच अंतर करने में सहायता करती है। यह जवाबदेही (Accountability), सत्यनिष्ठा (Integrity), ईमानदारी (Honesty), संवेदना (Compassion), सहानुभूति (Empathy) आदि के रूप में प्रतिबिंबित हो सकती है।
- नैतिकता या नीतिशास्त्र को सामान्यतया निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है-
  - अधिनीतिशास्त्र
  - मानकीय/निर्देशात्मक नीतिशास्त्र
  - अनुप्रयुक्त/फलित
- अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र, नैतिक सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में लागू करने का प्रयास करता है। यह विवादास्पद विषयों (यथा-युद्ध, मृत्युदण्ड, पशु अधिकार, पर्यावरण आदि) पर विचार करता है। इसका उपयोग सार्वजनिक नीति निर्धारण में किया जाता है।
- अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के कई विशिष्ट क्षेत्र हैं-
  - इंजीनियरिंग नीतिशास्त्र
  - जैव नीतिशास्त्र
  - भू-नीतिशास्त्र
  - लोक सेवा नीतिशास्त्र
  - व्यावसायिक नीतिशास्त्र

व्यावसायिक नैतिकता

- व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ के बारे में नहीं है। यह लोगों और इस ग्रह की समस्याओं के लिए लाभदायक समाधान तैयार करने और मुनाफा कमाने की प्रक्रिया में है। भरोसेमंदता और मूल्य किसी भी व्यवसाय की नींव होनी चाहिए। ईमानदारी, निष्ठा और उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से ही विश्वास पैदा किया जा सकता है।
- चूंकि, कानून सभी व्यापारिक व्यवहारों को अच्छादित नहीं कर सकते हैं। अत: ऐसे में कानून कई बार कुछ बातों को अलिखित छोड़ देते हैं, जिसका सदुपयोग/दुरुपयोग किया जा सकता है। यहीं व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र आता है। जब बाजार बाह्यताओं या अपूर्ण सूचना के कारण विफल हो रहा हो तब किसी व्यावसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठान को बाजार का शोषण नहीं करना चाहिए।
- व्यावसायिक नैतिकता या नीतिशास्त्र वस्तुत: व्यावसायिक माहौल में लागू होने वाले नैतिक सिद्धांतों के समुच्चय को निरुपित करता है। यह किसी संगठन की सभी गतिविधियों और व्यक्तियों पर लागू होता है। कई फर्में अपने संगठन में नियोजित लोगों के कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए विस्तृत आचार संहिता विकसित करती हैं। इस प्रकार, व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र को इन आचार संहिताओं की सामग्री और प्रभावशीलता का अध्ययन कहा जा सकता है।
- व्यावसायिक नैतिकता विभिन्न हितधारकों (यथा-ग्राहकों, नियामकों, सरकारों, आपूर्तिकर्त्ताओं और अन्य समुदाय) में विश्वास को बढ़ावा देती है। टाटा कम्पनी एक उदाहरण है, इस संगठन ने बहुतों का विश्वास अर्जित किया है।
- व्यापारिक संस्थाएं जिन गतिविधियों में संलग्न होती हैं, उनके प्रति उनका नैतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, उदाहरण के लिए अपने कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करने का उत्तरदायित्व जिस पर्यावरण से वे संसाधन प्राप्त करते हैं उसके प्रति सम्मान का उत्तरदायित्व, उपभोक्ताओं पर अपने उत्पाद के प्रभाव के प्रति उत्तरदायित्व आदि। कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा कॉर्पोरेट के संचालन में अपनाई गई नैतिकता के स्तर पर निर्भर करती है।
- व्यापार में नैतिक व्यवहार के कुछ उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं-
  - दूसरों को धोखा देने, छल करने या चालाकी से काम निकालने के लिए प्रलोभित न होना।
  - बाजार और संगठनों की रचना करने वाले कानूनों और विनियमों का भावना के साथ-साथ अक्षरश: पालन करना।

उपभोक्ताओं के संबंध में व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र (Business ethics with respect to consumers)

- उपभोक्ताओं के साथ अपने व्यवसाय में फर्मों को कुछ नैतिक व्यवहारों का पालन करना चाहिए, जैसे:

- स्वास्थ्य देखभाल और फार्मा आदि जैसी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में इसका उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानकों को बनाए रखना।
- विज्ञापनों में उपभोक्ताओं को उत्पाद का वास्तविक परिचय देना।
- गैर-कानूनी रूप से प्राप्त अंगों, दवाओं आदि जैसे अनुचित उत्पादों की बिक्री नहीं करना। ऐसी गतिविधियाँ मानव को केवल लाभ का एक साधन मानती हैं।

कर्मचारियों के संबंध में व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र

- अपने कर्मचारियों से व्यवहार करते समय फर्मों को निम्नलिखित तत्त्वों का ध्यान रखना चाहिए:
  - **गैर-भेदभाव:** कर्मचारियों से काम के संबंध में उनकी योग्यता के आधार पर यथोचित व्यवहार करना चाहिए।
  - **कर्मचारियों को उनके प्रयासों के अनुरूप भुगतान करना:** कर्मचारियों को संगठन की सफलता के प्रति उसके द्वारा किए गए योगदान के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

चुनौतियाँ

- विशेषज्ञों का कहना है कि विकासशील व गरीब देशों में जब भुखमरी की स्थिति हो और उनकी अर्थव्यवस्थाएँ कोविड-19 महामारी के कारण भारी व व्यापक चुनौतियों से जूझ रही हों तो इन देशों में व्यावसायिक या व्यापारिक नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करवाना काफी कठिन कार्य है।
- भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या अधिक होने और रोजगार के अवसर कम होने से, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों के शोषण की संभावना बन जाती है।
- भारत में प्रवासी कामगारों की दशा अत्यंत दयनीय है, जिसे कोविड-19 महामारी ने और अधिक बढ़ा दिया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अपने यहाँ कार्य कर रहे प्रवासी कामगारों पर काफी कम ध्यान देते हैं। कई बार यह भी देखा जाता हे कि उनके काम की उचित मजदूरी भी नहीं दी जाती है। इससे व्यावसायिक नैतिकता काफी गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
- विकासशील व गरीब देशों में शिक्षा का स्तर कम होने से कर्मचारियों में व्यावसायिक नैतिकता के प्रति कम जागरूकता होती है।
- व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों को कानूनी रूप न दिये जाने से व्यापारिक संगठनों में इसके प्रति उदासीन भाव रहता है।

सुझाव

- कोविड-19 महामारी ने नैतिकता के सिद्धांतों की अहमियत और बढ़ा दी है। इस महामारी के आर्थिक चुनौतियों से सामना करने में व्यावसायिक नैतिकता काफी मदद कर सकती है।
- कुछ व्यावसायिक संगठनों ने अपने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत प्रगतिशील कदमों को उठाया है, यथा-मोटर वाहन निर्माताओं द्वारा वेंटिलेटर बनाना, शराब निर्माताओं द्वारा सैनिटाइजर का बनाना आदि। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के इस प्रकार के प्रयासों ने लोगों में इनके प्रति विश्वास पैदा किया है, अतः सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इससे सीख लेनी चाहिए।
- व्यावसायिक दुविधाओं को व्यावसायिक नैतिकता से हल किया जा सकता है, यथा-
  - जिन आर्थिक गतिविधियों में लोगों के अधिक समीप आने की संभावना हो तो वहाँ आर्थिक गतिविधियों और कर्मचारियों के जानमाल के बीच संतुलन बनाना होगा।
  - कम्पनियों को अपने अल्पकालिक नुकसान को रोकने हेतु अनावश्यक छँटनी से बचना चाहिए।
  - कोविड-19 महामारी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया है, अतः यहाँ निजता के अधिकार पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

निष्कर्ष

- कोविड-19 महामारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर काफी अधिक पड़ा है तथा यह भविष्य में और अधिक अनिश्चित रूप से बढ़ सकता है, ऐसे में व्यावसायिक चुनौतियों से निपटने में व्यावसायिक नैतिकता प्रमुख भूमिका निभा सकती है, अतः इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. व्यावसायिक नैतिकता (Business Ethics) क्या है? कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों में व्यावसायिक नैतिकता किस प्रकार मदद कर सकती है? उल्लेख करें।

05 पड़ोसी देशों के साथ भारत का आर्थिक एकीकरण

चर्चा का कारण

- भारत के पड़ोसी देशों में चीन की बढ़ती मौजूदगी से भारत सरकार चिंतित है। गौरतलब है कि एक तरफ भारत मदद के जरिए पड़ोसियों से रिश्तों को मजबूत करना चाहता है तो वहीं, चीन ने पूंजीवादी दृष्टिकोण अपनाया है। चीन बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए वह अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वह विदेशी धरती पर सैन्य अड्डे बनाने की कोशिशों में लगा है, साथ ही वह लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों में कई प्रॉजेक्ट्स में भागीदारी कर रहा है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि भारत को इस क्षेत्र में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाना चाहिए।

परिचय

- भारत ने 2012 में, दक्षिण एशिया (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल) से अपने बाजार में एकतरफा शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की है। इसके अलावा भारत न सिर्फ द्विपक्षीय तौर पर बल्कि सार्क तंत्र के जरिए भी मैत्री के क्षेत्रों को मजबूत बनाने और अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा और हित कल्याणकारी को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़कर कार्य करने के लिए तैयार है।
- भारत दक्षिण एशिया से आयात (वर्तमान में 4.6 बिलियन डॉलर) को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, संयोग से, इस क्षेत्र में भारत का निर्यात 24.6 बिलियन डालर का है।
- पिछले कुछ वर्षों से संरक्षणवादी नीतियों, उच्च रसद लागत, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और व्यापक विश्वास की कमी से दक्षिण एशिया में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में गिरावट दर्ज की गयी है अर्थात इस क्षेत्र में व्यापार अपनी क्षमता से काफी नीचे रहा है।
- जानकारों का मानना है कि दक्षिण एशिया व्यापारिक दृष्टि से दुनिया में सबसे अलग थलग क्षेत्रों में से एक है, खासकर पूर्वी एशिया और प्रशांत जैसे क्षेत्रों के मुकाबले। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विश्व के कुल व्यापार का लगभग 50% व्यापार होता है जबकि दक्षिण एशिया में अंतर - क्षेत्रीय व्यापार केवल 5 प्रतिशत होता है। इसलिए दक्षिण एशिया के देशों को आपस में व्यापारिक सम्बन्धों को और मजबूत करने की जरूरत है। इस मामले में देखा जाए तो उप-सहारा अफ्रीका, कही बेहतर स्थिति में है, जहां व्यापार सुविधा के लिए पारदर्शी तंत्र सरकारों द्वारा बनाए गए इसके कारण अंतर -क्षेत्रीय व्यापार में 22% तक की वृद्धि हुई है।

भारत को क्या करना चाहिए

- भारत दक्षिण एशिया से आयात को प्रोत्साहित करने के लिए तीन व्यापक उपायों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है-

1. केंद्र सरकार द्वारा भारत की निजी व सरकारी कंपनियों को दक्षिण एशिया के देशों में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे भारत और इसके पड़ोसियों को लाभ तो होगा साथ ही सांस्कृतिक दृष्टि से भी नजदीकी आएगी । भारत द्वारा पड़ोसी देशों में आईटी सेवाओं, पर्यटन, मसालों, कपड़ों, चमड़े के उत्पादों, व कृषि उत्पादों पर विशेष जोर दिया जा सकता है। इसी तरह, पड़ोसी देशों की कंपनियां भारत में निवेश कर सकती हैं, ताकि क्षेत्रीय व्यापार और मूल्य शृंखलाओं पर समान सकारात्मक प्रभाव पैदा किया जा सके।
2. व्यापार और निवेश को सक्षम करने वाले बुनियादी ढांचे में सुधार करना जरूरी है क्योंकि दक्षिण एशिया के देशों के बीच व्यापार की लागत बहुत अधिक है। दक्षिण एशिया में औसत व्यापार लागत आसियान देशों की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है, जानकारों का मानना है कि भारत का ब्राजील के साथ व्यापार करना पाकिस्तान से भी ज्यादा सस्ता है। इसलिए भारत को पाकिस्तान, नेपाल आदि के साथ सीमा विवाद से लेकर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है जिससे सीमाओं पर आयातों व निर्यातों की निर्बाध निकासी हो सके। इसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और एकल खिड़कियां (single windows) विकसित किया जाय।
3. भारत को गैर-टैरिफ बाधाओं (वे सभी शुल्क जो कि आयात या निर्यात शुल्क नहीं हैं, गैर-टैरिफ की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर आयात कोटा, सब्सिडी, तकनीकी बाधाएँ या आयात लाइसेंसिंग, सीमा शुल्क पर माल के मूल्यांकन के लिये नियम, पूर्व शिपमेंट निरीक्षण इत्यादि।) को सरल कर पड़ोसियों की मदद के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है।

- इसके अलावा भारत क्षमता निर्माण कर पड़ोसी देशों के निर्यातक वस्तुओं को प्रमाणित करने के लिए आसान मानकों को अपना सकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय

मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में मदद करने के लिए बांग्लादेश के मानकों और परीक्षण संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है। बीआईएस ने इसी तरह नेपाल और अफगानिस्तान में काम किया है।

दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता

- दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता को 1995 में लागू किया गया, जो कि 2004 से साफ्टा में बदल गया था। इन दोनों समझौते का लक्ष्य दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना है और सार्क देशों के बीच अधिक उदार व्यापार व्यवस्था कायम किए जाने का प्रावधान है। साफ्टा व्यापार एवं टैरिफ प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को हटाने की अपेक्षा रखता है।

दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव

- दक्षिण एशिया में सबसे गहरा असर आक्रामक चीन के उभार से पड़ा है। चीन ने अपने राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य उदय को पाकिस्तान के साथ जहां शांतिपूर्ण संबंधों के तौर पर पेश किया है वहीं दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में वो दूसरी तरह से ताकत दिखा रहा है। चीन अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे भारत के पड़ोसियों से अपने रिश्तों का दायरा बढ़ा रहा है, इसके साथ-साथ पाकिस्तान के विकास में भी उसकी मदद कर रहा है। दक्षिण एशिया के राजनीतिक भूगोल को बदलने में उपमहाद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं) अहम भूमिका निभा रहे हैं।
- इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी और चर्चित परियोजना है वन बेल्ट वन रोड इनीसिएटिव (BRI), जिसके तहत सड़क और रेल का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाना है। बीआरआई का एक अहम हिस्सा है चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे CPEC भी कहते हैं। ये कॉरिडोर चीन के पश्चिमी हिस्से को पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जोड़ता है। इससे चीन की अरब सागर तक पहुंच आसान हो जाती है।
- श्रीलंका में विकास के लिए चीनी मदद तेजी से बढ़ रही है, चीन ने रणनीतिक अहमियत वाले हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए संविदा हासिल किया है। श्रीलंका और पाकिस्तान में रणनीतिक तौर पर अहम जगहों पर मौजूद ये प्रोजेक्ट, चीन को भारत के आसपास के समंदर में रणनीतिक जगहों तक पहुंचने का रास्ता देते हैं, जहां भारत का प्रभाव है। बीजिंग ने महसूस किया है कि रणनीतिक फायदे के लिए हिंद-प्रशांत महासागर में समुद्री ताकत बढ़ानी होगी और इससे ही इस पूरे इलाके में वर्चस्व कायम किया जा सकता है।

आगे की राह

- आज आसियान देश, भारत के चौथे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर (व्यापारिक साझेदार) हैं जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (मुक्त व्यापार समझौता) है। इस समझौते की वजह से व्यापार, काम करने वालों का आना-जाना और निवेश करना आसान हुआ है। इसके अलावा मध्य एशिया हमारा विस्तारित पड़ोस है, मध्य एशिया के देशों से भी कूटनीतिक रिश्ते और बेहतर किए गए हैं। इन देशों से आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा में सहयोग, सूचना तकनीक के साथ-साथ खनन, निर्माण और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में रिश्तों को और विस्तार दिया जा रहा है।
- इसके अलावा भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए अलग-अलग कई तरह की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चीन बहुपक्षीय की बजाय द्विपक्षीय यानी दो देशों के बीच के रिश्तों पर ज्यादा जोर दे रहा है। दोनों देशों ने इस पूरे इलाके पर ध्यान देने के पारंपरिक तरीके का दायरा बढ़ाया है। चीन दक्षिण एशिया में रिश्ते बनाने के मामले में आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत ने भी पारंपरिक पड़ोस से आगे देखना शुरू कर दिया है। दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया और यहां तक कि हिंद-प्रशांत महासागर के बड़े इलाके तक पहुंचने की कोशिश ने एशिया में भारत की अहमियत बढ़ा दी है।
- दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते कदम के मद्देनजर भारत सतर्क है और महसूस करता है कि इस बड़े उपमहाद्वीप में अपनी छाप छोड़ना बेहद जरूरी है। भारत, पूर्व के उपनिवेशों को स्वतंत्र करने के हिमायती और तटस्थ भूमिका से आगे जा चुका है और आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन) देशों, मध्य एशिया और बंगाल की खाड़ी के इलाके के पड़ोसी देशों में दिलचस्पी दिखा रहा है।

सामान्य अध्ययन पेपर 2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए अलग-अलग कई तरह की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चीन बहुपक्षीय की बजाय द्विपक्षीय रिश्तों पर ज्यादा जोर दे रहा है। चर्चा कीजिये।

06 राजकोषीय अनुशासन हेतु राजकोषीय परिषद की जरूरत

संदर्भ

- कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को अधिक व्यय करना पड़ रहा है जबकि आर्थिक गतिविधियों को शिथिल होने से अपेक्षानुरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए कई विशेषज्ञों व संस्थाओं ने यह आशंका जतायी है कि देश का राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) बढ़ सकता है, अतः इसे प्रबंधित करने हेतु एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद् (Fiscal council) को स्थापित किया जाना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने हेतु न सिर्फ भारत ने बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने लॉकडाउन को समय-समय पर लगाया है और यह समय व परिस्थितियों के अनुसार अभी भी लगाया जा रहा है। इससे सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई है।
- आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में भारत में कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत सरकार को अपना खर्च बढ़ाना चाहिए बिना इसकी चिंता किये कि सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके।
- दूसरी तरफ भारत सरकार को यह डर है कि अधिक खर्च करने से सरकार पर कर्ज का बोझ और राजकोषीय घाटा अनियंत्रित रूप से बढ़ सकते हैं। इस स्थिति में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ (स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर्स, मूडीज, फिच आदि) भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग कम कर सकती हैं, इससे देश में निवेश भी कम आयेगा। अर्थव्यवस्था में निवेश के कम आने से आर्थिक गतिविधियाँ नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं और अर्थव्यवस्था सुस्ती (Slowdown) या फिर मंदी की स्थिति में जा सकती है।

- महामारी के प्रकोप के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और सरकार की राजकोषीय घाटा एवं अन्य चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु राजकोषीय परिषद के गठन की बात की जा रही है ताकि राजाकोषीय प्रबंधन को स्वतंत्र रूप से परिस्थितियों के मुताबिक प्रबंधित किया जा सके।

राजकोषीय परिषद

- राजकोषीय परिषद, एक ऐसी स्थायी संस्था होती है जो सरकार की राजकोषीय योजना का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन या विश्लेषण करती है तथा अपने महत्वपूर्ण सुझावों को प्रस्तुत करती है। राजकोषीय योजना के मूल्यांकन के तहत सरकार के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों, यथा- आगे आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटा को कितना कम करना है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को कितना लेकर जाना है आदि, का विश्लेषण करना होता है।
- भारत में राजकोषीय परिषद की माँग काफी पुरानी है। तेरहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी अर्थात् राजकोषीय परिषद के गठन का सुझाव दिया था। इसके बाद 14वें वित्त आयोग ने भी इसी प्रकार के सुझाव को प्रस्तुत किया था।
- सन् 2017 में एन.के.सिंह की अध्यक्षता में गठित एफआरबीएम समीक्षा समिति ने भी राजकोषीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। इस समिति के मुताबिक, राजकोषीय परिषद एक स्वतंत्र निकाय होगी एवं किसी भी दिये गये वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व घोषणाओं की निगरानी करेगी।
- आईएमएफ के डाटा के मुताबिक अभी पूरे विश्व में लगभग 50 देश ऐसे हैं जहाँ राजकोषीय परिषद उपस्थित है। इन देशों में ऐसी परिषदों की सफलता की दर भी अलग-अलग है।

राजकोषीय परिषद के उद्देश्य/कार्य

- राजकोषीय परिषद का उद्देश्य बहुवर्षीय राजकोषीय प्रक्षेपण (Multi-year fiscal projection) भी है। बहुवर्षीय राजकोषीय प्रक्षेपण का तात्पर्य यह है कि राजकोषीय परिषद को राजकोषीय प्रबंधन एवं इससे संबंधित अन्य बातों का आकलन करना होगा, जैसे कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी या फिर आगे आने वाले वर्षों में यह कैसे हो सकती है इत्यादि।

- इस संस्था द्वारा राजकोषीय स्थिरता (Fiscal Sustainability) का विश्लेषण तैयार किया जाता है। जब सरकार का राजस्व की प्राप्ति और खर्च संतुलन की अवस्था में हो और सरकार सुचारू रूप से चलती रहे (कोई भी वित्तीय संकट पैदा न हो) तो इसे राजकोषीय स्थिरता की स्थिति कहते हैं। ध्यातव्य है कि नब्बे के दशक में राजकोषीय स्थिरता को गंभीर रूप से तब नुकसान पहुँचा था जब भारत सरकार के समक्ष भुगतान संतुलन (बीओपी) का संकट खड़ा हो गया था।
- सरकार ने अपने तय लक्ष्यों के अनुरूप (यथा-एफआरबीम कानून के तहत) राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) के लक्ष्यों को प्राप्त कर पायी है या नहीं, इस बात का मूल्यांकन राजकोषीय परिषद द्वारा किया जाता है। इसके लिए परिषद एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करती है।
- राजकोषीय परिषद यह भी देखती है कि सरकार राजकोषीय नियमों का पालन किस प्रकार से कर रही है।
- राजकोषीय डाटा को और कैसे बेतर किया जा सकता है, इसकी सिफारिश राजकोषीय परिषद द्वारा की जाती है।
- सरकार द्वारा बजट में की गयी घोषणाअें को भविष्य में कैसे आसानी से लागू किया जाये, इसके लिए राजकोषीय प्रबंधन में जरूरी संशोधनों का सुझाव परिषद द्वारा किया जाता है।
- राजकोषीय परिषद द्वारा वार्षिक राजकोषीय रणनीतिक रिपोर्ट (Annual Fiscal Strategy Report) भी तैयार की जाती है और उसे सार्वजनिक प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया जाता है ताकि राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता को स्थापित किया जा सकता है।

विश्लेषण

- कुछ विशेषज्ञ यह भी प्रश्न उठाते हैं कि क्या वास्तव में भारत में राजकोषीय परिषद के गठन की आवश्यकता है? जबकि इस परिषद के द्वारा किये जाने वाले कार्यों को भारत में विभिन्न कानून एवं संस्थाएँ कर रही हैं, जैसे कि एफआरबीएम कानून (2003) में सरकार के लिए आगे आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को कितना कम करना है, यह निर्धारित कर दिया गया है कि यदि सरकार इन लक्ष्यों से विचलित होती है तो उसको इसका स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा।
- संसद में भारत सरकार को एक राजकोषीय नीति रणनीति स्टेटमेंट (Fiscal policy Strategy Statement -FPSS) रखना होता है ताकि सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित स्थितियाँ स्पष्ट हो सकें और संसद में इसमें सार्थक बहस हो सके। जब उपर्युक्त कार्य पहले से ही संसद में किया जा रहा है तो इसके लिए एक नयी संस्था के निर्माण की औचित्यता पर कुछ विशेषज्ञ सवाल खड़ा कर रहे हैं।
- राजकोषीय परिषद का यह भी कार्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के संदर्भ में समय-समय पर अनुमान व्यक्त किये जायें और वर्तमान वृद्धि दर का विश्लेषण किया जाये। लेकिन यह कार्य भारत में कई सरकारी एजेंसियाँ कर रही हैं, यथा-भारतीय रिजर्व बैंक, सीएसओ आदि। इसके अतिरिक्त आईएमएफ, विश्व बैंक आदि भी ऐसे आँकड़ें प्रस्तुत करती हैं।
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) भी सरकार की राजकोषीय नीतियों का विश्लेषण करता है और इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करता है। कैग देखता है कि सरकार राजकोषीय नियमों का पालन कर रही है या नहीं।
- उपर्युक्त के बावजूद कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह सही है कि राजकोषीय परिषद के कार्यों को भारत में विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न रूपों में सम्पन्न किया जा रहा है लेकिन फिर भी यदि राजकोषीय परिषद की स्थापना की जायेगी तो राजकोषीय प्रबंधन और बेहतर ढंग से हो सकेगा।

आगे की राह

- कोविड-19 महामारी ने अभूतपूर्व आर्थिक चुनौतियों को उत्पन्न किया है। इसके लिए राजकोषीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए ताकि राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके।
- जब तक सरकार राजकोषीय परिषद को स्थापित नहीं कर पा रही है, उसके पहले कुछ और छोटे-छोटे कदम उठाये जा सकते हैं, यथा- जब सरकार बजट प्रस्तुत करे तो उसके तुरंत बाद कैग की देखरेख में एक कमेटी गठित की जा सकती है (जिसमें आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सीएसओ आदि का भी योगदान लेना चाहिए। यह कमेटी सरकार के बजटीय तथ्यों का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कर राजकोषीय नीति के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो भविष्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य कर सकती है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों के फलस्वरूप भारत में राजकोषीय परिषद के गठन की चर्चा ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। क्या यह संस्था राजकोषीय प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? विश्लेषण करें।

07 महामारी के दौरान समावेशी शहरों की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- COVID-19 महामारी ने (विशेषकर प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में) शहरी भारत में बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने में गहरी असमानताओं को उजागर किया है। कोरोना का प्रकोप भारत में सत्तर प्रतिशत उन शहरों में केन्द्रित है जो तथाकथित स्मार्ट सिटीज हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, सूरत, चेन्नई, इन्दौर, भोपाल, जयपुर आदि। इसका आशय यह है कि शहरी विकास का जो मॉडल हमने अपनाया है वह न सिर्फ असफल दिख रहा है बल्कि वह संक्रमण फैलाने वाला भी साबित हो रहा है।

परिचय

- आधुनिक युग के शहरों की परिकल्पना, कोविड-19 जैसी महामारी को ध्यान में रख कर नहीं की गई थी। अब दुनिया में इसकी वजह से मची उथल-पुथल ने लोगों की जिंदगियों को अलग-थलग पड़े बेडरूम और स्टूडियो अपार्टमेंट में तब्दील कर दिया है।
- इस दौर के शहर किसी महामारी को ध्यान में रखकर नहीं बसाए गए हैं। आज के शहरों का जो स्वरूप है, वो तब उचित था जब दुनिया के तमाम देशों के शहर आपस में जुड़े थे। जहां लाखों लोग काम कर रहे थे। अपनी मंजिलों को आ और जा रहे थे। घूमने फिरने निकलते थे। नाचने गाने, मस्ती करने और शराब की पार्टियों के लिए घर से निकलते थे। जब लोग एक दूसरे को बड़ी बेतकल्लुफी से गले लगा लेते थे। पर आज ऐसा लगता है कि वो दुनिया हमसे बहुत दूर चली गई है।
- इक्कीसवीं सदी के पहले बीस बरसों में ही हमने सार्स, मर्स, इबोला, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और अब कोविड-19 के रूप में कई महामारियां देख ली हैं। अगर ऐसा है कि अब मानवता, महामारी के युग में प्रवेश कर चुकी है, तो फिर हमें अब अपने शहरों की रूप-रेखा भी नए सिरे से बनानी होगी। ताकि, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी न लगानी पड़े। घर से बाहर कदम रखने में डर न लगे। हम बाहर जाएं तो सुरक्षित महसूस करें। ऐसा लगे कि जिन शहरों में हम रहने आए हैं, वो सुरक्षित हैं।

- इसके अलावा देखा जाए तो COVID-19 महामारी के कारण हर रोज शहरों से हजारों की संख्या में मजदूरों का गांवों की तरफ पलायन जारी है। इसे 'रिवर्स माइग्रेशन' का नाम दिया जा रहा है। भविष्य में रोजगार को लेकर खुद मजदूर भी चिंता में हैं। हालांकि उनके लिए अभी सबसे बड़ी मुश्किल, जीवन और जीविका के बीच के चुनाव की है।
- जानकारों का मानना है कि दुनिया में करीब एक अरब लोग स्लम जैसे हालात में रहते हैं। ये दुनिया की करीब 30 प्रतिशत शहरी आबादी है। ये रिहाइशी बस्तियां तमाम बुनियादी सुविधाओं से महरूम रहती हैं। यहां रोशनी और हवा का इंतजाम नहीं होता। गंदे पानी की निकासी और सीवेज सिस्टम जैसी सुविधाएं नहीं होती। नतीजा ये कि इन बस्तियों में बीमारियां बड़ी तेजी से फैलती हैं।
- जहां तक बीमारियों की रोकथाम की बात है, तो शहरों ने पिछली दो सदियों में एक लंबा सफर तय किया है।

भारतीय शहरों में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता

- शहर में सार्वजनिक शौचालय कम हैं। पानी की सुविधाएं भी सीमित हैं और लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी मशविरों का भी पालन नहीं कर रहे हैं, कुल मिलाकर देखा जाये तो भारत में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता कुछ वर्गों तक सीमित है, जिसे निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-
- पानी तक पहुंच के मामले में, भारत सरकार द्वारा "पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छता और आवास की स्थिति" (2018) पर किये गये सर्वेक्षण में पाया गया है कि शहरी और ग्रामीण भारत में पानी की पहुंच में लगातार गिरावट जारी है। ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत हैंड पंप पाया गया जबकि शहरी क्षेत्रों में पाइप लाइन इसका मुख्य स्रोत है ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 42. 9% परिवारों ने पीने के पानी के लिए हैंड पंप का इस्तेमाल किया जबकि शहरी क्षेत्रों में 40.9% लोगों ने इसके लिए पाइप लाइन का इस्तेलमाल किया। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 48.6% परिवारों की और शहरी क्षेत्रों में करीब 57.5% परिवारों को पीने के पानी के मूल स्रोत तक पहुंच पाई गई। हालाँकि, इस सर्वेक्षण में भी प्रवासी श्रमिकों की गणना नहीं की गई है।
- जानकारों का कहना है कि कोविड-19 महामारी से बचने के लिए 20 सेकेंड तक हाथ धोने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है किन्तु पानी तक सीमित पहुंच पर विचार करें तो पाएंगे कि उचित आवास इकाइयों के बिना प्रवासी मजदूरों के लिए यह कितना कठिन है।
- बुनियादी सुविधाओं की कमी और आजीविका सिकुड़ने के साधनों के कारण, प्रवासी मजदूरों को शहरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करने के लिए संस्थागत विफलताओं को और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

प्रवासियों के डेटा में भारी अंतर

- असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के संबंध में सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया। यह अधिनियम राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को कुछ जरूरी व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराता है। इसके जरिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण, जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा और कोई भी अन्य लाभ, जो असंगठित मजदूरों के लिये सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके लिये अनुशंसाएँ दी जाती हैं। किन्तु केंद्रीय श्रम मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रवासियों की संख्या पर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आंकड़ों में भिन्नता स्पष्ट थी । ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड इस डेटा को इकट्ठा करने में समान रूप से विफल रहे हैं।
- उदाहरण के लिए 2018 के सर्वेक्षण में कहा गया है कि घरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति (in-house piped water supply) शहरी भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रूप है, किन्तु देखा जाये तो इस बात पर गौर नहीं किया गया है कि कैसे प्रवासियों द्वारा जल का उपयोग किया गया । ऐसा लगता है कि प्रवासियों द्वारा अपनी जल आपूर्ति के लिए संभवत: निम्न तीन विकल्प अपनाए होंगे-

1. प्रवासी मजदूरों ने सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कि हैंडपंप और सार्वजनिक नल या स्टैंडपाइप (standpipes) का इस्तेमाल किया है, जो विभिन्न नगरपालिका द्वारा जगह जगह उपलब्ध कराये गए हैं। फिर भी देखा जाये तो इन स्रोतों से उपलब्ध पानी कई बार पीने लायक नहीं है।
2. प्रवासी कामगारों को नियुक्त करने वाले ठेकेदार उन्हें पानी की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
3. प्रवासियों को पानी उपलब्ध कराने में शहरी जल बोर्ड की भूमिका अहम है। हालांकि शहरी जल बोर्ड की जिम्मेदारी उन घरों के प्रति ज्यादा है जहां पाइप से जल पहुंचाया जा सकता है।

- जानकारों का मानना है कि भारत में प्रवासियों के बारे में दिये गए आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर है। इनका कहना है कि देश के राज्यों और शहरों में कितने प्रवासी प्रवेश करते और कितने शहर छोड़ते हैं, इसके बारे में सही जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है।
- हालांकि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 ने पंजीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित किया है। इसने शहरों में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को निर्दिष्ट किया है ताकि वे प्रवासियों को पंजीकृत कर सकें और योजनाओं और लाभों के बारे में जानकारी का प्रसार कर सकें तथा इन निकायों को पहचान के लिए 'स्मार्ट कार्ड' वितरित करने के लिए कहा भी कहा गया है।

नयी रूपरेखा के साथ व्यापक नीति की आवश्यकता

- जब तक प्रवासी मजदूर सूचीबद्ध नहीं होते हैं तब तक वे राज्यों में असुरक्षित काम के माहौल में काम करेंगे। जोखिम भरे काम की स्थिति वायरस के पुनरुत्थान का कारण बन सकती है, अर्थात जब तक कि मजदूर अपने कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा सावधानी नहीं बरतेंगे वे संकटों से घिरे ही रहेंगे। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं को प्रवासी मजदूरों तक पहुँच के लिए उनके रिकॉर्ड को स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाओं को भेजने की आवश्यकता है।
- राज्य की जिम्मेदारी के साथ, मजदूरों को रोजगार देने वाले व्यवसाय और ठेकेदार बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में शामिल हो सकते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या जुर्माना देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम शायद ही किसी भी सेवा प्रदान करने के लिए ठेकेदारों और व्यवसायों पर कोई जिम्मेदारी डालता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस अधिनियम मे कुछ नए बदलाव किए जाएँ।
- शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों और प्रवासियों के आसपास स्वास्थ्य, बैंकिंग, माइक्रोफाइनेंस और बीमा नेटवर्क का ढांचा तैयार किया जा सकता है।

आगे की राह

- कोविड-19 बीमारी ने दिखाया है कि हमारे शहरों को प्रवासी श्रमिकों की बहुत आवश्यकता है, ये प्रवासी मजदूर शहरों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा किसी महामारी की सूरत में शहरों के पास जरूरी सेवाओं की आपूर्ति, खरीदारी और सामान की उपलब्धता से लेकर बस्तियां खाली कराने के रास्ते जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।
- शहरों के मौजूदा खाली स्थानों का बेहतर इस्तेमाल, साफ सफाई की व्यवस्था का विस्तार और पैदल चलने वालों के लिए अधिक जगह छोड़ने जैसे कदम उठा कर महामारी से लड़ने लायक शहर बसाए जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से प्रवासी मजदूर लाभान्वित होंगे।

सामान्य अध्ययन पेपर-1

Topic:

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

प्र. आधुनिक युग के शहरों की परिकल्पना, कोविड-19 जैसी महामारी को ध्यान में रख कर नहीं की गई थी। चर्चा कीजिये

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी–नियोक्ता मानचित्रण पोर्टल (असीम)

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा कुशल कार्यबल हेतु स्थायी आजीविका के अवसरों को खोजने में मदद करने के लिए आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण (असीम) (Atma Nirbhar Skilled Employee Employer Mapping -ASEEM) पोर्टल लॉन्च किया गया।
- असीम पोर्टल जो मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, को बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटरप्लेस के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा विकसित और प्रबंधित किया गया है।

2. पोर्टल का उद्देश्य

- आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना और इंडिया ग्लोबल वीक 2020 समिट में भारत को एक ऊर्जावान कार्यबल के रूप में पेश करने के प्रधानमंत्री के दावे से प्रेरित होकर यह असीम पोर्टल तैयार किया गया है।
- ASEEM कुशल कार्यबल के बाजार में मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने और नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की खोज में मदद करने के मामले में सूचना प्रवाह की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास है।
- विशेष रूप से व्यावसायिक दक्षता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक कुशल कार्यबल की भर्ती के अलावा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित प्लेटफॉर्म को उद्योग-संबंधित कुशल कार्यबल प्राप्त करने और कोविड के बाद की स्थितियों में उभरते नौकरी के अवसरों का पता लगाने में कार्यबल की मदद करने के लिये तैयार किया गया है।
- इस पहल का उद्देश्य कोविड महामारी के बाद के समय में कुशल कार्यबल की पहचान करके कार्यबल तंत्र की दिशा में देश की प्रगति को रफ्तार देना है और कुशल कार्यबल को स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक आजीविका के अवसरों से जोड़ना है।

3. महत्त्व

- विभिन्न क्षेत्रों में कौशल के अंतर की पहचान करने और वैश्विक सर्वोत्तम व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के अलावा, असीम पोर्टल नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की उपलब्धता का आकलन करने और उनके लिए भर्ती योजनाओं को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
- इस पोर्टल के माध्यम से मांग को संचालित करने और परिणाम-आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए सहायक रही प्रौद्योगिकी और ई-प्रबंधन प्रणालियों के बढ़ते उपयोग के साथ कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओ को एक साथ लाने का काम किया गया है।
- इसके जरिए उम्मीदवारों के लिए करियर की कई संभावनाएं बनेंगी।

4. पोर्टल में तीन आईटी आधारित इंटरफेस हैं

- नियोक्ता पोर्टल- नियोक्ता ऑनबोर्डिंग, डिमांड एग्रीगेशन, उम्मीदवार का चयन
- डैशबोर्ड- रिपोर्ट, रुझान, विश्लेषण और अंतर को प्रमुखता से दिखाना
- उम्मीदवार आवेदन – उम्मीदवार का प्रोफाइल बनाना और ट्रैक करना , नौकरी का सुझाव देना

5. क्रियान्वयन

- असीम का उपयोग उपलब्ध नौकरियों के साथ कुशल श्रमिकों का मिलान करने के लिए मैच-मेकिंग इंजन के रूप में किया जाएगा।
- पोर्टल और ऐप में नौकरी हेतु श्रमिकों के लिए पंजीकरण और डेटा अपलोड का प्रावधान होगा।
- कुशल कार्यबल इस ऐप पर अपनी प्रोफाइल पंजीकृत कर सकते हैं और अपने पड़ोस में रोजगार के अवसरों की तलाश कर सकते हैं।

6. आगे की राह

- असीम के माध्यम से, विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की तलाश करने वाले नियोक्ताओं, एजेंसियों और जॉब एग्रीगेटर्स के पास सभी आवश्यक विवरण एक ही जगह मिलेंगे।
- यह नीति-निर्माताओं को विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण रखने में सक्षम बनाएगा।

02 चन्द्रमा की उपसतह पर पूर्व अनुमानों से अधिक धातुओं की उपस्थिति

1. चर्चा का कारण

- नासा ने हाल ही में घोषणा की, कि लूनर रिकॉनिस्सेंस ऑर्बिटर (एलआरओ) अंतरिक्ष यान को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि चंद्रमा के उपसतह में पहले से कहीं अधिक मात्रा में लोहा और टाइटेनियम जैसी धातुएँ हैं।

2. पृष्ठभूमि

- चंद्रमा की निचली सतह पर इस धात्विक वितरण को LRO पर स्थापित 'सुक्ष्म रेडियो फ्रीक्वेंसी (Miniature Radio Frequency–Mini-RF) उपकरण द्वारा देखा गया है।
- नासा के अनुसार यह खोज पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक स्पष्ट संबंध बनाने में सहायता कर सकती है। चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों से पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर धातु के भंडार की उपस्थिति का पता लगाने का प्रयास किया गया है और जैसे-जैसे समय के साथ अधिक डेटा उपलब्ध होता गया है, शोधकर्ता अपनी परिकल्पना को और अधिक परिष्कृत करने में सक्षम होते गये हैं।

3. चंद्रमा की उत्पत्ति

- चंद्रमा के उत्पति से संबंधित प्रचलित सिद्धांत यह है कि लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार का एक आदि-ग्रह (Proto-planet) पृथ्वी निर्माण के आरंभिक काल में ही पृथ्वी से टकरा गया, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का एक टुकड़ा विखंडित होकर इसका उपग्रह बन गया।
- इस परिकल्पना के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि चन्द्रमा तथा पृथ्वी की रासायनिक संरचना में लगभग समानता, आदि।

4. नासा की घोषणा का आधार

- नासा के LRO अंतरिक्ष यान के Mini-RF उपकरण द्वारा चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित क्रेटरों की सतह पर मिट्टी में विद्युतीय गुण (Electrical Property) का परीक्षण किया गया।
- परीक्षण में यह पाया गया कि क्रमिक रूप से 5 किमी व्यास के आकार तक बड़े क्रेटरों में परावैद्युत गुणों के स्तर में सापेक्षिक रूप से वृद्धि पायी गयी।
- इससे बड़े आकार के क्रेटर में परावैद्युत स्थिरांक (dielectric constant) का मान सामान पाया गया।
- इन निष्कर्षों ने इस संभावना को जन्म दिया कि बड़े क्रेटरों में परावैद्युत स्थिरांक में वृद्धि होने का कारण, उल्काओं द्वारा इन बड़े क्रेटरों का निर्माण के दौरान चंद्रमा की सतह के नीचे से लौह तथा टाइटेनियम ऑक्साइडयुक्त धूल का उपरी सतह पर आ जाना है।

5. इन निष्कर्षों का महत्व

- ध्यातव्य है कि पृथ्वी की पर्पटी में चंद्रमा की अपेक्षा लौह ऑक्साइड की मात्रा काफी कम पायी जाती है, वैज्ञानिक इसका कारण समझने का प्रयास कर रहे हैं।
- अब, चंद्रमा पर धातु की अधिक मात्रा की नई खोज ने वैज्ञानिकों के काम को और भी कठिन बना दिया है क्योंकि इससे, चंद्रमा-निर्माण संबधित परिकल्पनाओं की सत्यता पर प्रश्न-चिन्ह लगता है।
- इसका एक संभावित कारण यह माना जा रहा है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी की निचली सतह की सामग्री से हुआ हो, या हाल ही में चंद्रमा पर पायी गयी धातुओं की उपस्थिति चंद्रमा की पिघली हुई सतह के धीरे-धीरे ठंडा होने का परिणाम हो सकती है।

6. लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (LRO)

- LRO नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्षयान है जो वर्तमान में चंद्रमा की परिक्रमा करते समय चित्रों का उपयोग करके डेटा एकत्र करता है और चंद्रमा की सतह का अध्ययन करता है।
- LRO और लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट मिशन 18 जून, 2009 को पृथ्वी से छोड़ा गया और इसने 23 जून, 2009 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया।
- इसे भविष्य के मानवयुक्त चन्द्र मिशन तथा मंगल मिशन संबंधी तैयारियों के क्रम में 'लूनर प्रीकर्सर एंड रोबोटिक प्रोग्राम' (LPRP) के अंतर्गत निर्मित किया गया है।
- LRO, नासा के न्यू विजन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन' के अंतर्गत पहला मिशन है।
- LRO अंतरिक्षयान पर लगे उपकरण चंद्रमा के दिन-रात का तापमान, वैश्विक भू-स्थानिक ग्रिड (Global Geodetic Grid), चंद्रमा का एल्बिडो और उच्च रिज़ॉल्यूशन कलर इमेजिंग (High Resolution Color Imaging) से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं।

03 एक देश-एक वोटर आईडी

1. चर्चा का कारण

- कोविड-19 महामारी के कारण भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्टल बैलट से मतदान करना संभव बनाया है। चुनाव आयोग ने ऐसा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति इस महामारी के प्रति अधिक जोखिम में हैं। इससे पहले यह विकल्प केवल अक्षम नागरिकों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध था।
- कुछ जानकारों का मानना है कि यही समान सशक्तिकरण दृष्टिकोण प्रवासी श्रमिकों व अन्य वर्गों के लिए भी अपनाया जाना चाहिए जो वोट देने के लिए अपने राज्यों की ओर लौटते हैं।

2. प्रवासी श्रमिकों के लिए आवश्यक क्यों

- प्रवासी श्रमिक आजीविका की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। चुनाव के समय वे जब वोट नहीं दे पाते हैं तो उन्हें राजनीतिक रूप से शक्तिहीन माना जाता है।
- 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगभग 13.9 करोड़ है जो भारत की श्रम शक्ति का लगभग एक तिहाई है। प्रवासी श्रमिक आर्थिक आजीविका की तलाश में निर्माण क्षेत्र , घरेलू क्षेत्र, ईंट भट्टों, खानों, परिवहन, सुरक्षा, व कृषि कार्यों, आदि में इधर से उधर यात्रा करते हैं। कई लोग कभी अपने घर और कस्बों में लौटते भी नहीं हैं।
- कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्रवासियों के प्रति उदासीन रवैये से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह समूह राजनीतिक दलों के वोट बैंक का हिस्सा नहीं है।
- आंतरिक प्रवासी श्रमिक अपने रोजगार के स्थान पर मतदाताओं के रूप में नामांकित नहीं होते हैं क्योंकि इसके लिए उन्हे वहाँ का निवास प्रमाण पत्र देना होगा , साथ ही निर्वाचन आयोग के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वे प्रवासियों को उनके रोजगार क्षेत्र से वोट देने की सुविधा दे पाये।

3. चुनाव आयोग के कर्तव्य

- चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रत्येक भारतीय जो मतदान करने के योग्य है, वोटरलिस्ट में पंजीकृत हो । गौरतलब है कि वर्तमान में भारत में 91.05 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं और 2019 के आम चुनाव में रिकॉर्ड 67.4%, यानी 61.36 करोड़ मतदाताओं ने अपना वोट डाला।
- चुनाव आयोग को एक तिहाई लोग (29.68 करोड़) जो अपना वोट नहीं डालते हैं, पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास करना होगा। राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन सर्वेक्षणों से पता चला है कि लगभग 10% पंजीकृत मतदाता राजनीति में रुचि की कमी के कारण मतदान करने से बचते हैं। इसके अलावा 20 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो मतदान करना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने में वे असमर्थ हैं। इनमें से लगभग तीन करोड़ अनिवासी भारतीय (एनआरआई)हैं।
- यह दिलचस्प है कि अनिवासी भारतीयों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम करने के लिए, सरकार ने कानून बनाया। इसके अनुसार अनिवासी भारतीय अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए इलाके के किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को प्रॉक्सी या छद्म वोटिंग कहा जाता है । इसके विपरीत देखा जाये तो यह सुविधा गरीब प्रवासी श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

4. चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए

- घर से दूर तैनात सरकारी कर्मचारी (जैसे, सैन्यकर्मी) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि वह देश में कहीं से भी अपने मतदाताओं को डिजिटल रूप से मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए आधार-लिंक्ड मतदाता-आईडी आधारित समाधान का परीक्षण कर रहा है, इसमे कुछ और समय लग सकता है।
- प्रवासी श्रमिकों द्वारा मतदान की सुविधा के लिए, चुनाव आयोग जिला कलेक्ट्रेट के नेटवर्क का उपयोग करते हुए पर्याप्त उपाय कर सकता है। प्रवासियों को अपने मौजूदा मतदाता पहचान पत्र और उनके अस्थायी प्रवास की अवधि के आधार पर अपने शहर के कार्यक्षेत्र में शारीरिक रूप से मतदान करने में सक्षम होना चाहिए। एक ऐसे युग में जहां बैंकिंग लेन-देन ऑनलाइन हो गए हैं, ऐसे में देखा जाये तो चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता से समझौता किए बिना अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने के लिए तकनीकी रूप से मदद मुहैया कराई जा सकती है।

04 जूनॉटिक बीमारियों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान (International Livestock Research Institute) की साझा रिपोर्ट में बढ़ती महामारियों के लिए पशुओं से मिलने वाले प्रोटीन की माँग में इजाफा होने, सघन व गैर-टिकाऊ खेती के बढ़ने, वन्यजीवों के दोहन एवं इस्तेमाल में वृद्धि और जलवायु संकट जैसे कारकों को जिम्मेदार बताया गया है।
- 'Preventing the Next Pandemic Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission' नामक इस रिपोर्ट में पशुजनित बीमारियों के बढ़ते उभारों के लिए जिम्मेदार सात रुझानों की पहचान की गई है और वैश्विक महामारियों की रोकथाम के लिए दस सिफारिशें भी पेश की गई हैं।

2. जूनॉटिक बीमारियाँ क्या हैं?

- पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों को जूनॉटिक बीमारियाँ (Zoonotic diseases) कहा जाता है। ये बैक्टीरिया, परजीवियों और वायरसों के कारण होती हैं। ऐसे रोग पहले जानवरों को संक्रमित करते हैं और फिर उनसे होते हुए ये बीमारियाँ इन्सानों को अपना निशाना बनाती हैं।
- विश्व भर में पाँच लाख से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार महामारी कोविड-19 के स्रोत का सन्देह चमगादड़ों में होने पर जताया गया है। कोविड-19 से पहले भी इबोला, MERS, West Nile बुखार सहित अन्य बीमारियाँ पशुओं से मनुष्यों में फैली और उनकी वजह भी मानव गतिविधियों से पर्यावरण पर बढ़ता दबाव माना गया था।
- हर साल लगभग 20 लाख लोगों की मौत ऐसी पशुजनित बीमारियों से हो जाती है जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकाँश मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। इन्हीं रोगों के कारण पशुओं-मवेशियों को भी गम्भीर बीमारियाँ होती हैं और उनकी मौत हो जाती है, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है।
- कोविड-19 से आर्थिक नुकसान अगले कुछ वर्षों में बढ़कर 9 ट्रिलियन डॉलर होने की आशंका है लेकिन इससे पहले भी पिछले दो दशकों में अन्य पशुजनित बीमारियों के कारण 100 अरब डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है।

3. अफ्रीकी देशों की अहम भूमिका

- रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देशों को हाल के समय में इबोला और अन्य पशु-जनित महामारियों से जूझना पड़ा है और ये क्षेत्र ऐसे भावी समाधानों का स्रोत बन सकता है जिनमें पशुओं, मनुष्यों और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए।
- अफ्रीकी महाद्वीप में बड़े पैमाने पर दुनिया के वर्षावन और वन्य भूमि होने के साथ-साथ दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या भी है। इससे पशुओं, वन्यजीवन और मनुष्यों में सम्पर्क की रफ्तार और मामले बढ़े हैं और उसी वजह से पशुजनित बीमारियों का जोखिम भी अफ्रीका महाद्वीप पर आने वाले समय में और ज्यादा तेजी से फैल सकता है लेकिन अफ्रीकी देश इबोला और अन्य उभरती बीमारियों से निपटने के रास्ते भी सुझा रहे हैं।

4. भविष्य में महामारियों की रोकथाम के लिए अनुशंसाएँ

- एक स्वास्थ्य पहल (One Health) सहित बहुविषयक (Interdisciplinary) तरीकों में निवेश पर जोर देना।
- पशुजनित बीमारियों पर वैज्ञानिक खोज को बढावा देना।
- पशुजनित बीमारियों के प्रति जागरूकता के प्रसार पर बल देना।
- जवाबी कार्रवाई के लागत-मुनाफा विश्लेषण को बेहतर बनाना और बीमारियों के समाज पर असर को आँकना।
- पशुजनित बीमारियों की निगरानी और नियामक तरीकों को मजबूत बनाना।
- भूमि प्रबन्धन की टिकाऊशीलता को प्रोत्साहन देना और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के वैकल्पिक रास्तों को विकसित करना ताकि पर्यावासों और जैवविविधता संरक्षण सम्भव हो।
- जैवसुरक्षा और नियन्त्रण को बेहतर बनाना, पशुपालन में बीमारियों के उभार के कारकों को पहचानना और कारगर नियन्त्रण उपायों को बढ़ावा देना।
- कृषि और वन्यजीव के सहअस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए भूदृश्य (Landscape) की टिकाऊशीलता को सहारा देना।
- सभी देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हिस्सेदारों की क्षमताओं को मजबूत बनाना।
- भूमि के इस्तेमाल और टिकाऊ विकास की योजना को संचालित करना।

05 भारत का पहला प्लाज्मा बैंक

1. चर्चा का कारण

- कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिल्ली स्थित सरकारी संस्थान ' इंस्ट्टियूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज' में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है।
- गौरतलब है कि सबसे पहले दिल्ली में ही प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया था और इसके शानदार नतीजे सामने आए थे। अब दुनिया के कई देशों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी (Plasma Therapy) का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका, स्पेन, दक्षिण कोरिया, इटली, तुर्की और चीन समेत कई देशों में इस थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है।

2. प्रमुख बिन्दु

- दिल्ली सरकार ने उम्मीद जतायी है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में कमी आ सकती है। इसके लिए सरकार ने 1031 और व्हाट्सएप नंबर 8800007722 जारी किया, जिन पर लोग कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा दान करने के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।
- 18 से 60 वर्ष तक की आयु के लोग, जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है वे कोविड-19 मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं।
- प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 के ठीक हुए मरीजों के रक्त से एंटीबॉडी लिया जाता है और कोविड-19 मरीजों को चढ़ाया जाता है।

3. कौन नहीं दे सकता प्लाज्मा

- गर्भवती महिलाएं, शुगर के मरीज, हाइपरटेंशन की बीमारी या जिनका ब्लड प्रेशन 140 से ज्यादा है, वे प्लाज्मा नहीं दे सकते। इसके अलावा किडनी, हार्ट की बीमारी वाले लोग प्लाज्मा दान नहीं कर सकते हैं।

4. प्लाज्मा थेरेपी

- 'प्लाज्मा थेरेपी' इस धारणा पर कार्य करती है कि कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों के शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज (प्लाज्मा) विकसित हो जाते हैं। ठीक हुए ऐसे मरीजों के रक्त से प्लाज्मा निकालकर इन एंटीबॉडीज के जरिये नए मरीज के शरीर में मौजूद कोरोना वायरस का सफाया किया जाता है।
- इस थेरेपी में 'एस्फेरेसिस' विधि से कोरोना से उबर चुके रोगी के शरीर से रक्त निकाला जाता है और इसी रक्त से केवल प्लाज्मा या प्लेटलेट्स जैसे अवयवों को निकालकर शेष बचा रक्त वापस डोनर के शरीर में चढ़ा दिया जाता है।
- मेडिकल एक्सपर्ट की मानें तो एक व्यक्ति का प्लाज्मा 2 मरीजों का इलाज कर सकता है। किसी डोनर के शरीर से प्लाज्मा लेने के बाद उस प्लाज्मा को तकरीबन एक साल तक-60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में स्टोर करके रखा जा सकता है।

5. प्लाज्मा थेरेपी की चुनौतियाँ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि प्रयोग के हिसाब से रक्त प्लाज्मा का इस्तेमाल सही है लेकिन इसके लिए मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होनी आवश्यक है और डॉक्टरों के सामने कोरोना संक्रमित रोगी की रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने की बड़ी चुनौती रहती है। सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि संक्रमित कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के हिसाब से कोरोना से जंग जीतने वाले व्यक्तियों के रक्त से पर्याप्त मात्रा में प्लाज्मा एकत्रित करना।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जब तक कोरोना के इलाज के लिए बेहतर वैक्सीन तैयार नहीं होती, इस थेरेपी का उपयोग करना ठीक है लेकिन यह हर बार सफल ही हो, यह जरूरी नहीं। इस थेरेपी के इस्तेमाल से बड़ी उम्र वाले तथा उच्च रक्तचाप व मधुमेह जैसी बीमारियों से जूझ रहे कोरोना मरीजों को ठीक करना सबसे बड़ी चुनौती है।

06 रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी (Raman Spectroscopy) का प्रयोग किया।

2. परीक्षण विधि

- अध्ययन के लिए, शोधकर्ताओं ने गैर-संक्रामक आरएनए वायरस के साथ लार के नमूनों को मिलाया और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ इसका विश्लेषण किया। इसके बाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रारम्भिक डेटा का विश्लेषण किया गया तथा पॉजिटिव तथा निगेटिव संक्रमण वाले दोनों नमूनों के साथ इसकी तुलना की गयी।
- शोधकर्ताओं को प्रत्येक नमूने से प्राप्त सभी 1,400 वर्णक्रमों (spectra) के सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चला है कि 65 रमन वर्णक्रमीय विशेषताओं (Raman spectral features) का एक सेट, पॉजिटिव संक्रमण की पहचान करने हेतु पर्याप्त है।

3. महत्त्व

- शोधकर्ताओं का कहना है कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, इसका उपयोग मात्र स्क्रीनिंग के लिए किया जा सकता है क्योंकि, इसमें पता लगाये गए RNA वायरस, सामान्य सर्दी-जुखाम अथवा एचआईवी जैसे किसी बीमारी के भी हो सकते हैं।
- इस परीक्षण में डेटा एकत्रीकरण तथा विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया मात्र एक मिनट के भीतर की जा सकती है। दूसरे शब्दों में इसके द्वारा त्वरित परीक्षण परिणाम हासिल किये जा सकते हैं।
- पोर्टेबल रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हवाईअड्डे के प्रवेश द्वार अथवा किसी भी प्रवेश द्वार पर स्थापित किया जा सकता है, जहाँ इससे कुछ ही मिनटों में यात्रियों की शीघ्रता से जाँच की जा सकती है।

4. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जीवाणु संक्रमण के इलाज में कारगर

- आमतौर पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग पदार्थों में रासायनिक बंधन (bond) को पहचानने के लिए किया जाता है, इस अध्ययन की खासियत है कि यह अत्यंत संवेदनशील और त्वरित परिणाम देने वाला है।
- रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग से रोगजनक जीवाणुओं के व्यवहार की पहचान भी की जाती है जिससे चिकित्सकों को एंटीबायोटिक दवाओं की खुराक निर्धारित करने में भी मदद मिलती है। इससे ओवेरडोज की संभावना भी कम होती है जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध का कारक बनता है।

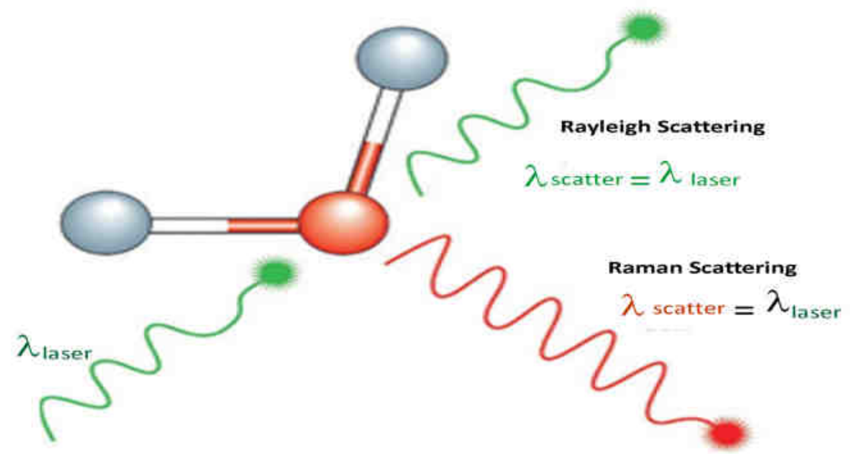

07 परिसीमन आयोग

1. चर्चा का कारण

- हाल ही मे चुनाव आयोग (ईसी) के पूर्व कानूनी चेयरमैन एस के मेंदीरत्ता ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना के केंद्र सरकार के आदेश को असंवैधानिक और अवैध बताया। विदित हो कि जब वर्ष 2008 में आखिरी बार परिसीमन हुआ था, तब इन राज्यों को छोड़ दिया गया था।
- कई संगठनों ने परिसीमन प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2001 की जनगणना को आधार के रूप में प्रयोग किये जाने को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। असम से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की, क्योंकि उस समय तक 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (National Register of Citizens- NRC) के आँकड़ों को अद्यतन/अपडेट नहीं किया गया था।

2. परिसीमन क्या है?

- परिसीमन का अर्थ होता है "सीमा निर्धारण" अर्थात किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण को ही परिसीमन कहते हैं। जिसका सरल शब्दों में अर्थ है कि किसी राज्य के कई गाँवों, कस्बों और शहरों को एक इकाई मान या राजनीतिक क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र) मान कर, पुरे राज्य को इसी तरह कई इकाइयों में बाँटकर, उस पूरे राज्य को कई विधानसभा या राज्यसभा क्षेत्र/सीटों में बॉटा जा सकें, ताकि वहाँ के निवासी उनके विधानसभा या राज्यसभा क्षेत्र के लिए वोट डाल कर अपना पसंदीदा मंत्री और सरकार का चुनाव कर सकें।
- इसका उद्देश्य समान जनसंख्या क्षेत्रों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, और भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन है, ताकि किसी भी राजनीतिक दल को फायदा न हो। परिसीमन आयोग के आदेशों पर किसी भी अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

3. परिसीमन का इतिहास

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, भारत सरकार हर 10 साल में जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। हर परिसीमन के बाद जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या में बदलाव किया जाता है।
- भारत में वर्ष 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 1952 के बाद वर्ष 1963, 1973 और वर्ष 2002 में परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। भारत में वर्ष 2002 के बाद परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया हैं।
- 12 जुलाई, 2002 को उच्चतम न्यायालय से अवकाश प्राप्त न्यायधीश कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को केन्द्र सरकार को वर्ष 2007 में सौंपा था जिसे तत्कालीन मनमोहन सरकार ने अनदेखा कर दिया परंतु वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया।

4. परिसीमन आयोग

- परिसीमन आयोग को भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सीटों की संख्या के आवंटन और क्षेत्रों में उनके सीमांकन का काम किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक, सरकार हर एक दशक (10 साल) बाद परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है।
- इसके तहत जनसंख्या के आधार पर विभिन्न विधानसभा व लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण होता है। बता दें कि परिसीमन की वजह से किसी भी राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या नहीं बदलती। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति सीटों की संख्या बदल जाती है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है।
- अब तक चार बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। सबसे पहले 1952 में इस आयोग का गठन किया गया था, इसके बाद 1962, 1972 और 2002 में इस आयोग का गठन किया गया था।

5. आयोग के मुख्य कार्य

- हाल में हुई जनगणना के आधार पर देश के सभी लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की फिर से सीमाएं निर्धारित करना।
- सीमाओं के पुनर्निर्धारण में राज्य में प्रतिनिधित्व को स्थिर रखना, यानी चुने गए प्रतिनधियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होना।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना विधानसभा सीटों के निर्धारण क्षेत्र की जनगणना के अनुसार करना।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण पोर्टल

प्र. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण पोर्टल के माध्यम से, विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की तलाश करने वाले नियोक्ताओं के पास सभी आवश्यक जानकारी एक ही जगह पर मिलेंगे।
2. इस पोर्टल में नौकरी हेतु श्रमिकों के लिए पंजीकरण और डेटा अपलोड का प्रावधान होगा।
3. इस पोर्टल में चार आईटी आधारित इंटरफेस हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 व 3

(c) केवल 1 और 2 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण पोर्टल में तीन आईटी आधारित इंटरफेस है। जैसे-नियोक्ता पोर्टल, डैशबोर्ड तथा उम्मीदवार आवेदन। इस पोर्टल का उपयोग उपलब्ध नौकरियों के साथ कुशल श्रमिकों का मिलान करने के लिए मैच-मेकिंग इंजन के रूप में किया जाएगा। इस तरह कथन 3 गलत है, अत: उत्तर (c) होगा।

02 चन्द्रमा की उपसतह पर धात्विक स्थिति

प्र. **दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें-**

(a) नासा ने यह घोषणा की है कि लूनर रिकॉनिस्सेंस आर्बिटर अंतरिक्षयान को यह साक्ष्य मिले हैं कि चन्द्रमा के उपसतह में पहले से अधिक मात्रा में धातुएँ पायी गयी हैं।

(b) लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर यूरोपीय स्पेस एजेन्सी का एक अंतरिक्षयान है।

(c) लूनर रिकॉनिसेंस आर्बिटर, नासा के 'न्यू विजन फॉर-स्पेस एक्सप्लोरेसन' के अंतर्गत पहला मिशन है।

(d) एलआरओ रोबोटिक अंतरिक्षयान चन्द्रमा की परिक्रमा करते समय चित्रों का उपयोग करके डेटा एकत्र करता है और चन्द्रमा की सतह का अध्ययन करता है।

उत्तर: (b)

व्याख्या: लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर नासा का (न कि यूरोपीय स्पेस एजेन्सी) एक रोबोटिक अंतरिक्षयान है, जो चन्द्रमा की परिक्रमा करते समय चित्रों का उपयोग करके डेटा एकत्र करता है और चन्द्रमा की सतह का अध्ययन करता है। इस तरह कथन (b) गलत है, अत: उत्तर (b) होगा।

03 एक देश-एक वोटर आईडी

प्र. **एक देश-एक वोटर आईडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. एक देश-एक वोटर आईडी का लाभ सिर्फ 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मिलेगा।
2. एक देश-एक वोटर आईडी की सुविधा देश के सभी उम्र के प्रवासी श्रमिकों के लिए है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (d)

व्याख्या: एक देश-एक वोटर आईडी का लाभ 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। इस सुविधा का लाभ सभी उम्र के प्रवासी श्रमिकों को नहीं मिलेगा। इस तरह कथन 1 और 2 दोनों गलत है, इसलिए उत्तर (d) होगा।

04 जूनॉटिक बीमारियों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

प्र. जूनॉटिक बीमारियों पर रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों को जूनॉटिक बीमारियाँ कहा जाता है।
2. रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख लोगों की मौत ऐसी पशुजनित बीमारियों से हो जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः जूनॉटिक बीमारियों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 20 लाख लोगों की मौत ऐसी पशुजनित बीमारियों के कारण हो जाती है। विदित हो कि पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों को जूनॉटिक बीमारियाँ कहा जाता है। इस तरह कथन 2 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

05 प्लाज्मा बैंक

प्र. प्लाज्मा बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मुम्बई की सरकारी संस्थान 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एण्ड बिलियरी साइंसेज' में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है।
2. सर्वप्रथम दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया था।
3. 18 से 60 वर्ष के लोग कोविड-19 मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (b)

व्याख्याः कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिल्ली (न कि मुम्बई) स्थित सरकारी संस्थान 'इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ लीवर एण्ड बिलियरी साइंसेज' में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल सर्वप्रथम दिल्ली में किया गया था। विदित हो कि 18 से 60 वर्ष के लोग कोविड-19 मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। इस तरह कथन 2 और 3 सही हैं, अतः उत्तर (b) होगा।

06 रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया' है।
2. स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस्तेमाल से डेटा एकत्रीकरण तथा विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया मात्र एक मिनट के भीतर की जा सकती है।
3. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल आमतौर पर पदार्थों में रासायनिक बंध को पहचानने के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1 व 3
(c) केवल 2 व 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रीस्कोपी का इस्तेमाल किया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस्तेमाल से डेटा एकत्रीकरण तथा विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया मात्र एक मिनट के भीतर की जा सकती है। इस तरह कथन 1 गलत है, इसलिए उत्तर (c) होगा।

07 परिसीमन आयोग

प्र. परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. परिसीमन का अर्थ है 'सीमा निर्धारण' अर्थात किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण को परिसीमन कहते हैं।
2. संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, भारत सरकार प्रत्येक 20 साल में जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, भारत सरकार प्रत्येक 10 साल (न कि 20 साल) में जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। उल्लेखनीय है कि परिसीमन का अर्थ है, 'सीमा निर्धारण' अर्थात किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण को परिसीमन कहते हैं। इस तरह कथन 2 गलत है, अतः उत्तर (a) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 न्यूमोकोकल पॉलीसैकराइड कंजुगेट

- भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने पहली बार पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकराइड कंजुगेट टीके को बाजार में बेचने की मंजूरी दे दी है। यह टीका मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे द्वारा विकसित किया गया है। सीरम संस्थान ने देश में सबसे पहले न्यूमोकोकल पॉलीसैकराइड कंजुगेट वैक्सीन के चरण I, चरण II और चरण III के नैदानिक परीक्षणों के लिए डीसीजीआई से स्वीकृति प्राप्त की थी। स्वीकृति मिलने के बाद से ये परीक्षण देश के भीतर किए जा रहे हैं।
- कंपनी ने इस टीके का नैदानिक परीक्षण जांबिया में भी किया है। यह टीका शिशुओं में "स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया" के कारण होने वाले रोग और निमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण अभियान के लिए उपयोग किया जाता है। यह टीका इंजेक्शन के जरिए सीधे मांसपेशियों में दिया जाता है।

निमोनिया क्या है

- निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। यह मुख्य रूप से विषाणु या जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। यह पेरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा निमोनिया सूक्ष्म जीव, कुछ दवाओं, और अन्य रोगों के संक्रमण से भी हो सकता है।
- निमोनिया एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को तुरंत अपनी जद में ले लेता है। इसके कारण बच्चे की सांस रूकने लगती है और बाद में उसकी मौत तक हो जाती है। भारत में हर साल इस बीमारी से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। एक आंकड़े के अनुसार साल 2018 में 1,27,000 बच्चों की मौत निमोनिया के कारण हुई है और इन सभी की उम्र पांच साल से कम थी।
- **निमोनिया के लक्षण (Symptoms of Pneumonia)**- निमोनिया होने पर फ्लू जैसे लक्षण महसूस होते हैं। ये लक्षण धीरे-धीरे या फिर तेजी से विकसित हो सकते हैं। निमोनिया का मुख्य लक्षण खाँसी है। रोगी को बुखार के साथ पसीना और कंपकंपी भी हो सकती है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है, या फिर वो तेजी से सांस लेने लगता है। सीने में दर्द होता है, तथा बेचैनी महसूस होता है।
- उल्लेखनीय है कि निमोनिया के निवारक उपायों में स्वच्छता तथा निमोनिया-कारक जीवाणुओं के लिए प्रतिरोधी टीकाकरण को सम्मिलित किया जाता है। किसी बच्चे को निमोनिया से बचाने के लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है, जिसमें सामान्यत: एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए औसतन पांच से सात दिनों तक उपचार चलता है।

02 एडीबी ने अशोक लवासा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया

- हाल ही में अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। अशोक लवासा, 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। वह चुनाव आयुक्त के रूप में सेवारत थे और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे।
- लवासा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पोल पैनल से हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पहले, अशोक लवासा केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्ति हुए थे। इससे पहले, वह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय सचिव थे।
- अशोक लवासा ने पेरिस समझौते के लिए जलवायु परिवर्तन वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और भारत के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदानों को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें निजी क्षेत्र को एक प्रमुख भूमिका में शामिल किया गया था।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बारे में

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इस बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इस बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और 31 क्षेत्रीय कार्यालय पूरी दुनिया में संचालित हैं। एडीबी बैंक का मुख्य उद्देश्य एशिया में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। फिलहाल एडीबी के अध्यक्ष मसातसुगु असाकावा हैं।

03 मध्य प्रदेश वन विभाग की डॉल्फिन की नवीनतम जनगणना रिपोर्ट

- मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, 425 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में सिर्फ 68 डॉल्फिन बची हैं। चंबल नदी जो तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान) से होकर गुजरती हैं।
- डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार वर्षों में चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या में 13% की कमी आई है। वर्ष 2016 में चंबल में डॉल्फिन की संख्या 78 थी। चंबल नदी डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति प्लैटनिस्टा गैंगेटिका-(Platanista Gangetica) का निवास स्थान है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय (Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1985 में पहली बार इटावा (उत्तर प्रदेश) के पास चंबल नदी में डॉल्फिन को देखा गया था।
- उस समय इनकी संख्या 110 से अधिक थी। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी।
- इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। यह उत्तर भारत

में 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' घड़ियाल, रेड क्राउन्ड रूफ कछुए (Red-Crowned Roof Turtle) और लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन (राष्ट्रीय जलीय पशु) के संरक्षण के लिये 5,400 वर्ग किमी. में फैला त्रिकोणीय राज्य संरक्षित क्षेत्र है।

- डॉल्फिन स्तनधारी है और उसे मित्रता के लिए जाना जाता है। अन्य जानवरों की तुलना में, डॉल्फिन को बहुत बुद्धिमान माना जाता है। डॉल्फिन केवल सोते समय अपने दिमाग का आधा हिस्सा इस्तेमाल करती हैं। डॉल्फिन की 40 से अधिक प्रजातियां हैं, सबसे आम बोतलनोज डाल्फिन हैं। डॉल्फिन मांसाहारी (मांस खाने वाले) होते हैं, डॉल्फिन दुनिया भर में पाए जाते हैं और व्हेल के करीबी रिश्तेदार हैं।
- इसकी आँखें अल्पविकसित (Rudimentary) होती हैं। शिकार करने से लेकर 'सर्फिंग' (नदी या समुद्र की लहरों के साथ तैरना) तक की सभी प्रक्रियाओं में डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक ध्वनि (Ultrasonic Sound) का प्रयोग करती है। डॉल्फिन तेजी से बढ़ते शिकार को पकड़ने के लिये शंक्वाकार दाँतों का उपयोग करती है। इनके पास अच्छी तरह से विकसित श्रवण क्षमता होती है जो हवा एवं पानी दोनों के लिये अनुकूलित है।

चंबल अभयारण्य

- यह अभयारण्य प्राकृतिक रूप से रहने वाले घड़ियालों का आवास है। 75% घड़ियाल इस अभयारण्य में रहते हैं। इस अभयारण्य में प्रवासी पक्षियों की 180 प्रजातियाँ और ताजे पानी की गंगा डॉल्फिन भी पायी जाती हैं। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण यहाँ पर रिसॉर्ट्स, होटल या अन्य आवासीय और औद्योगिक गतिविधियों के निर्माण पर रोक होती है। यह अभयारण्य विंध्य श्रेणी से शुरू होता है, चंबल नदी के साथ-साथ यह यमुना नदी में समाप्त होता है।

04 आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना

- हाल ही में पाकिस्तान एवं चीन के मध्य 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' (Pakistan Occupied Kashmir-PoK) के सुधोटी जिले (Sudhoti District) में 700 मेगावाट की 'आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना' (Azad Pattan Hydel Power Project) के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इस परियोजना में 90 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 3.8 वर्ग किमी का जलाशय होगा।
- झेलम नदी पर स्थित आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रॉजेक्ट है। इस परियोजना का निर्माण 'चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' (China Pakistan Economic Corridor-CPEC) जो कि चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (Belt and Road Initiative) का हिस्सा है, के अंतर्गत किया जाना है। 'चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' के तहत PoK में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है। CPEC के तहत पाकिस्तान-चीन के बीच पहली परियोजना 'कोहाला परियोजना' (Kohala project) है। 1,100 मेगावाट की 'कोहाला परियोजना' को लेकर जून 2020 में पाकिस्तान- चीन के मध्य हस्ताक्षर किये गए थे। 2.3 अरब डॉलर की 'कोहाला परियोजना', मुजफ्फराबाद के पास झेलम नदी पर विकसित की जाएगी।

ईपीसी (Engineer] Procurement and Contract&EPC) समझौते/ कंस्ट्रक्शन के अनुसार,आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है। इस परियोजना को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। 30 वर्षों के बाद इस परियोजना को चीन द्वारा पाकिस्तान सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

- आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम की पाँच जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है। आजाद पट्टन से ऊपर की ओर महाल (Mahl), कोहाला (Kohala) और चकोथी हट्टियन (Chakothi Hattian) परियोजनाएँ हैं, जबकि करोट (Karot) परियोजना नीचे की ओर अवस्थित है।
- इस समझौते की न केवल भारत बल्कि पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) के निवासियों ने भी आलोचना की है। मुजफ्फराबाद के निवासियों ने दोनों परियोजनाओं-आजाद पट्टन और कोहाला बांध परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र से गुजरने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का लंबे समय से विरोध करता रहा है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है।

05 असम में बाढ़

- हाल ही में असम में आए बाढ़ से राज्य के हालात काफी बिगड़े गए हैं। कई गांवों से संपर्क टूट गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अनुसार, बाढ़ के कारण धेमाजी, लखीमपुर, बिश्वनाथ, उदलगिरी, दर्रांग, नालबारी, बारपेटा, बोंगाईगांव, कोकराझार, धुबरी, दक्षिण सालमारा, गोलपारा और कामरूप सहित 33 जिलों में लगभग 65 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम में अब तक मरने वालों की संख्या लगभग 100 हो गई है।

असम की भौगोलिक स्थिति

- असम देश का ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से नदी घाटी पर ही बसा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 78 हजार 438 वर्ग किमी का है, जिसमें से 56 हजार 194 वर्ग किमी ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में है और बाकी का बचा 22 हजार 244 वर्ग किमी का हिस्सा बराक नदी की घाटी में है, इतना ही नहीं राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक, असम का कुल 31 हजार 500 वर्ग किमी का हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। यानी, असम का जितना एरिया है, उसका करीब 40% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, जबकि, देशभर का 10.2% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है।
- असम में ब्रह्मपुत्र और बराक, दो प्रमुख नदियां हैं। इन दो के अलावा इनकी 48 सहायक नदियां और कई छोटी-छोटी नदियां हैं। इस वजह से यहां बाढ़ का खतरा ज्यादा है। अकेली ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया भी लगातार बढ़ रहा है। असम सरकार ने 1912 से 1928 के बीच सर्वे किया था, तब ब्रह्मपुत्र नदी राज्य के 3 हजार 870 वर्ग किमी के एरिया को कवर कर रही थी। आखिरी बार 2006 में जब सर्वे हुआ, तो ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया बढ़कर 6 हजार 80 वर्ग किमी हो गया। इसके अलावा नदी की औसतन चौड़ाई 5.46 किमी है। लेकिन, कुछ-कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई 15 किमी या उससे भी ज्यादा है।
- असम सरकार के 2017-18 आर्थिक सर्वे के मुताबिक 1954, 1962, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998, 2002 और 2004 में राज्य ने भयंकर बाढ़ का सामना किया है। हालांकि, उसके बाद भी हर साल लगभग तीन से चार बार असम में बाढ़ आती ही है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल बाढ़ की वजह से असम को औसतन 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 1998 की बाढ़ में राज्य को 500 करोड़ और 2004 में 771 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।

- वर्तमान में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 95% हिस्सा बाढ़ से डूब चुका है। मालीगाँव स्थित पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान भी 70% तक बाढ़ से प्रभावित है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पाई जाने वाली जैव-विविधता पर पड़ता है, जोकि चिंता का विषय है। जोरहट जिले में पड़ने वाला माजुली द्वीप पूरी तरह डूब गया है। बाढ़ से इस द्वीप की जैव-विविधता को भी नुकसान हुआ है। बाढ़ से बड़ी मात्रा में भूमि कटाव हो रहा है, इससे भविष्य में कृषि क्षेत्रों का ह्रास होने की संभावना है।

असम में बाढ़ का कारण

1. **रहने के लिए कम जगहः** नदी घाटी में बसे होने की वजह से यहां रहने की जगह बहुत ही कम है। यहां चाय के बागान हैं, जो ऊंचे इलाकों पर हैं। निचले इलाकों में भी कुछ हिस्से में नदी है तो कुछ में जंगल है। यहां थोड़ा ही हिस्सा रहने लायक बचता है। उसमें भी लोग खेती-किसानी करते हैं।
2. **सामान्य से ज्यादा बारिशः** ब्रह्मपुत्र बेसिन की वजह से हर साल यहां सामान्य से 248 सेमी से 635 सेमी ज्यादा बारिश होती है। मानसून सीजन में यहां हर घंटे 40 मिमी से भी ज्यादा बारिश होती है। इतना ही नहीं, कई इलाकों में तो एक ही दिन में 500 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।
3. **निचले इलाके में पानी भरने से:** असम पहाड़ी इलाका है। इस कारण जब भी पहाड़ों पर बारिश होती है, तो वो बहकर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में आ जाता है। इससे पानी नदियों के किनारे बहने लगता है और बाढ़ का कारण बनता है।
4. **कम जगह में ज्यादा आबादीः** 1940-41 में असम में कई जिलों में ब्रह्मपुत्र घाटी में हर एक किमी के दायरे में 9 से 29 लोग रहते थे। लेकिन, अब यहां हर किमी में 200 लोग रहने लगे हैं। इससे घाटी में हर साल बाढ़ की समस्या बढ़ गई है।

06 मानव वृद्धि हार्मोन

- वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) में रजत पदक विजेता और राष्ट्रीय चौंपियन वेटलिफ्टर प्रदीप सिंह को प्रतिबंधित मानव वृद्धि हार्मोन (Human growth Hormone–hGH) उपयोग का दोषी पाया गया है। भारत में इस तरह का यह पहला मामला भी है।
- प्रदीप सिंह को hGH पॉजिटिव पाए जाने के बाद चार साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदित है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (World Anti-Doping Agency- WADA) द्वारा hGH के प्रयोग को प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाडियों के लिए निषिद्ध किया गया है।
- मानव वृद्धि हार्मोन शारीरिक विकास के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिकाओं के निर्माण और पुनर्निर्माण को बहाल करता है। यह मानव शरीर में निर्मित होता है तथा मस्तिष्क के आधार के निकट पिट्यूटरी ग्रंथि (Pituitary Gland) द्वारा स्रावित होता है।पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन (Growth Hormone) निर्मुक्त करने पर यकृत से IGF-1 नामक प्रोटीन का स्राव होता है। यही प्रोटीन, हड्डियों, मांसपेशियों तथा अन्य ऊतकों में वृद्धि को प्रेरित करता है।

विश्व डोपिंग विरोधी संस्था

- यह एक विश्वस्तरीय स्वतंत्र संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गयी है। इसकी स्थापना 10 नवंबर, 1999 को स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में की गई थी। वर्तमान में वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्तमंत्री जॉन फाहे हैं। यह संस्था विश्व भर में वैज्ञानिक शोध, एंटीडोपिंग के विकास की क्षमता में वृद्धि और दुनिया भर में वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड पर अपनी निगाह रखती है। वाडा हर साल प्रतिबंधित दवाओं की सूची जारी करता है, जिनके विश्व के तमाम देशों में खेलों के दौरान प्रयोग पर रोक होती है।
- विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी में केवल वे पदार्थ या विधि प्रतिबंधित हैं जो वे निम्न मानदंडों के तहत आते हैं:
    - इसमें खेल प्रदर्शन को बढ़ाने या बढ़ाने की क्षमता रखता हो।
    - यह एथलीट के लिए एक वास्तविक या संभावित स्वास्थ्य जोखिम का प्रतिनिधित्व करता हो।
    - यह खेल की भावना का उल्लंघन करता हो।

07 मनोदर्पण प्लेटफॉर्म

- हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 'मनोदर्पण प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया। कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के अवसाद एवं तनाव को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को पेश किया गया है। गौरतलब है कि वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से विद्यार्थियों में अवसाद और तनाव के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस प्लेटफॉर्म के तहत विद्यार्थी काउंसलिंग के जरिए अपने तनाव को दूर कर सकते हैं।

क्या है मनोदर्पण अभियान

- मनोदर्पण अभियान एक आईटी एवं टेली काउंसलिंग इनिशिएटिव है, जिसके बारे में केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरु किये जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 मई को की गयी थी। मनोदर्पण अभियान के माध्यम से 3.75 करोड़ उच्च शिक्षा के छात्रों, 6.3 करोड़ 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों और विद्यालयी शिक्षा के छात्रों के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को बनाये रखने के लिए जानकारियां एवं प्रशिक्षित काउंसलर्स के जरिए नि:शुल्क परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। मनोदर्पण अभियान के अंतर्गत बाद में लाइव चैट और वेबीनार जल्द ही शुरु किया जाएगा। साथ ही, मनोदर्पण अभियान के तहत लाइफ स्किल्स को स्कूलों एवं कॉलेजों के माध्यम से जोड़ा जाएगा और

इन लाइफ स्किल्स में छात्रों की पर्फार्मेंस को उनके स्कोर कार्ड में भी जोड़ा जाएगा।

- खास बात है कि इसमें 500 काउंसलर्स विद्यार्थियों के अवसाद को दूर करने के लिए उनको काउंसलिंग देंगे। विद्यार्थी इस नंबर के जरिए तनाव और अवसाद के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। शुरुआत में विद्यार्थियों के तनाव और अवसाद को दूर करने के लिए 100 काउंसलर्स रहेंगे जिनकी संख्या बाद में 500 की जाएगी। मनोदर्पण पहल के अंतर्गत वेबसाइट manodarpan-mhrd.gov.in पर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सामग्री और परामर्शदाता उपलब्ध कराये गये हैं। इससे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ-साथ आमजन भी मदद ले सकते हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसे प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आवंटित धन का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाना है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसमें कृषि, एमएसएमई, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग आदि शामिल हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए, कार्यबल मजबूत और उच्च कुशल होना चाहिए। इस पहल के माध्यम से, भारत अपने भविष्य के कार्यबल को मजबूत करेगा, खासकर COVID-19 के दौरान।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

03

05

07

01 हाल ही में 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' को लागू किया गया है। इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें।

02 भारत-मालद्वीप संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' की चर्चा करें।

03 एक देश, एक वोटर आईडी की महत्ता का विश्लेषण करें।

04 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक के निष्कर्षों के संदर्भ में वैश्विक गरीबी पर प्रकाश डालें।

05 'आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी' योजना क्या है? कोविड-19 महामारी के समय यह योजना कर्मचारियों के लिए किस प्रकार सहायक है? चर्चा करें।

06 विशेषज्ञों का यह कहना है कि कोरोना वायरस ने भारत को अपने प्राथमिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने का सुनहरा मौका दिया है, कहाँ तक सही है? उल्लेख करें।

07 भारत-अमेरिका द्वारा किया गया 'PASSEX' अभियान एक सामान्य सैन्य अभ्यास है या फिर दक्षिण-चीन सागर में चीन के विरुद्ध रणनीतिक तैयारी? व्याख्या करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 हाल ही में किस राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री घर-घर योजना' शुरू की है?

दिल्ली

02 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरता है?

एनएच -37

03 मानवता के लिए "गुल्बेंकियन पुरस्कार" से किसे सम्मानित किया गया है?

ग्रेटा थुनबर्ग

04 किस उत्तर-पूर्वी राज्य को अपना पहला मेगा फूड पार्क, 'जोराम मेगा फूड पार्क' मिला है?

मिजोरम

05 किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए "गोधन न्याय योजना" शुरू की है?

छत्तीसगढ़

06 IUCN रेड लिस्ट मे हिमालयन वियाग्रा (Ophiocordyceps sinensis) को किस श्रेणी मे रखा गया है?

संकटग्रस्त

07 हाल ही में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया गया है?

पासेक्स (PASSEX) युद्धाभ्यास

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

01

03

05

01 यदि जो तुम्हारे भीतर है उसे सामने लाओ तो वो तुम्हे बचाएगा। यदि जो तुम्हारे भीतर है उसे सामने नहीं लाते हो, तो वो तुम्हे नष्ट कर देगा।

जीसस क्राइस्ट

02 किसी दिन, जब आपके सामने कोई समस्या ना आये आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं।

स्वामी विवेकानंद

03 अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केन्द्रित करो।

भगवान बुद्ध

04 खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं।

महात्मा गाँधी

05 वास्तविक धीर पुरूष वे ही हैं, जिनका चित्त विकार उत्पन्न करने वाली परिस्थितिओं में भी अस्थिर नहीं होता।

महाकवि कालिदास

06 शांति की शुरुआत मुस्कराहट से होती है।

मदर टेरेसा

07 अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना।

बेंजामिन फ्रैंकलिन

ध्येय IAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्सक्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

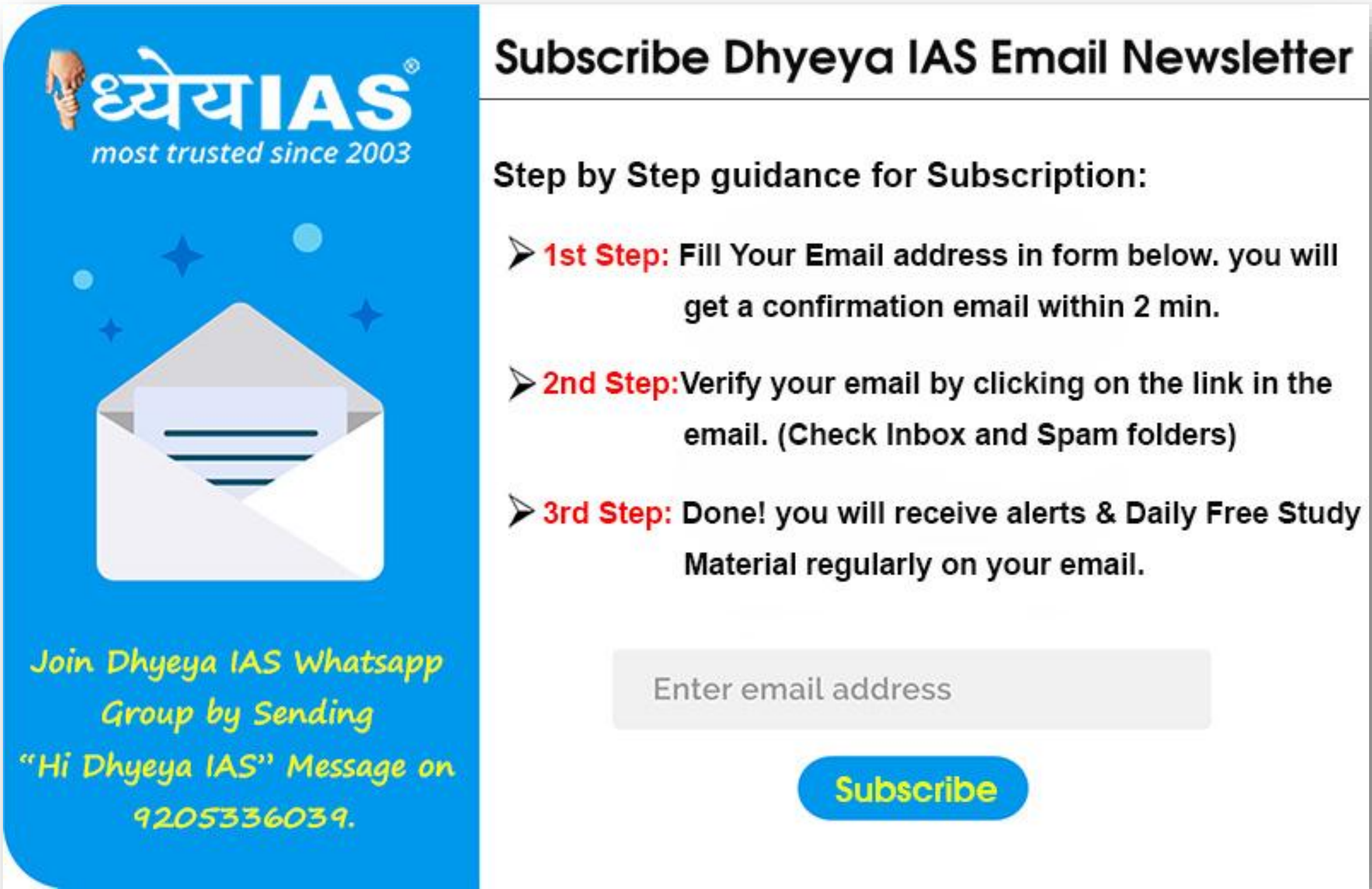

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com